

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियों)
उत्तर प्रदेश सरकार



विषय सूची

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय-1 : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1.1	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	1.2	2
संग्रह की लागत	1.3	3
कर निर्धारण के बकाये मामले	1.4	3
प्रति करदाता व्यापार कर संग्रह	1.5	4
राजस्व के बकाये	1.6	4
लेखा परीक्षा के परिणाम	1.7	5
अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	1.8	5
लोक लेखासमिति में विचार-विमर्श हेतु अनिस्तारित प्रस्तर/समीक्षायें	1.9	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तरवर्ती सारांश	1.10	7
अध्याय-2 : व्यापार कर विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	9
“कर निर्धारण व व्यापार कर संग्रह” पर समीक्षा	2.2	9
कय कर का अनारोपण	2.3	24
टर्नओवर छिपाये जाने से कर का अनारोपण	2.4	24
ब्याज का अनारोपण	2.5	25
केन्द्रीय बिक्री कर का कम करारोपण	2.6	26
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण	2.7	26
समाधान धनराशि का अनारोपण	2.8	27
अविभाज्य विद्युत ठेकेदारों को समाधान योजना का अनियमित लाभ	2.9	28
अध्याय-3 : राज्य आबकारी		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	29
आबकारी अभिकर के अन्तर दर की वसूली न किया जाना	3.2	29
आबकारी राजस्व के मद में विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	3.3	30
अध्याय-4 : वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	31
“परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा” पर समीक्षा	4.2	31
अतिरिक्त कर का कम आरोपण	4.3	38
बैठने की छमता का गलत निर्धारण के कारण राजस्व क्षति	4.4	39
अध्याय-5 : अन्य कर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	41
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		
पट्टा अवधि की गलत गणना के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.2	41
भू-राजस्व		
संग्रह प्रभार की वसूली न किया जाना	5.3	42

अध्याय- 6 अन्य विभागीय प्राप्तिर्यौ		
लेखररररररर के रररररर	6.1	43
ररररर ररररर		
ररररर ररररर ररररररररर	6.2	44
नररररर ररररर		
सेनरररर ररररररर के अनरररररर	6.3	47
सररर वरररर, रररर व ररररर के संररर पर ररररररर के वसररर न कररर रररर	6.4	47
आवरर एवड शहरर ररररर ररररर		
डररर के कड आररररर	6.5	48
शरररर ररररर		
ररररर से डररररर डरररर कड दर से वसररर रररर	6.6	48
खरन एड खनररर ररररर		
रररर डररररर नररररररर न रररर के कररर रररररर रररर	6.7	49
वरररर ररररर		
ररररररररर शररर	6.8	49

31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों, एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा-16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में प्राप्तियों के लेखापरीक्षा परिणाम, व्यापार कर, राज्य आबकारी, भू-राजस्व, मोटर वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, राज्य के अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों को समाविष्ट करते हुए हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से हैं जिन्हें वर्ष 2004-2005 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया, किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो समीक्षाओं सहित 22 प्रस्तर सम्मिलित हैं जिसमें ब्याज, अर्थदण्ड, कर के अनारोपण/ कम आरोपण आदि से संबंधित 449.74 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैं:-

I. सामान्य

- वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व दोनों कर (15,692.61 करोड़ रुपये) तथा करेतर (2720.29 करोड़ रुपये) विगत वर्ष के दौरान 15883.31 करोड़ रुपये के विपरीत 18412.90 करोड़ रुपये रहा।

(प्रस्तर 1.1.1)

- वर्ष 2004-05 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू-राजस्व तथा अन्य विभागीय प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 642.86 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण, कम आरोपण राजस्व हानि आदि के 2114 मामलों का पता चला। वर्ष 2004-05 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 27.73 करोड़ रुपये की निहित धनराशि वाले अवनिर्धारण एवं कम आरोपण आदि के 133 मामले स्वीकार किये, जिसमें से सन्निहित 1.63 करोड़ रुपये के 119 मामले मार्च 2005 तक वसूल किये गये।

(प्रस्तर 1.7)

- 4102.33 करोड़ रुपये की धनराशि के 31 दिसम्बर 2004 तक निर्गत 8567 निरीक्षण प्रतिवेदन जिनमें 17394 लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे जून 2005 तक लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.8)

II. व्यापार कर

“कर निर्धारण एवं व्यापार कर संग्रह” पर समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये :

- 19 व्यापार कर कार्यालयों के 32 व्यापारियों के विरुद्ध 5.11 करोड़ रुपये का कम/नहीं करारोपण।

(प्रस्तर 2.2.8)

- 10 व्यापार कर कार्यालयों के 14 व्यापारियों के प्रकरण में 2.51 करोड़ रुपये के प्रवेश कर का अनारोपण।

(प्रस्तर 2.2.8)

- 32 व्यापार कर कार्यालयों के 33 व्यापारियों के प्रकरण में 4.92 करोड़ रुपये अर्थदण्ड का अनारोपण।

(प्रस्तर 2.2.8)

- नई औद्योगिक इकाईयों को गलत पात्रता/मान्यता प्रमाणपत्र जारी किये जाने के फलस्वरूप 57.86 करोड़ रुपये कर की गलत छूट अथवा कर में कमी स्वीकृत किये जाने से राजस्व की क्षति।

(प्रस्तर 2.2.9)

- तीन व्यापार कर कार्यालयों के चार व्यापारियों को 1.67 करोड़ रुपये की अनियमित करमुक्ति।

(प्रस्तर 2.2.10)

लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी अन्य अनियमितताएँ :

- 5.80 करोड़ रुपये ब्याज का अनारोपण।

(प्रस्तर 2-5)

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत 3.99 करोड़ रुपये अर्थदण्ड नहीं आरोपित किया गया।

(प्रस्तर 2.7)

- वनस्पति घी पर 98.06 लाख रुपये समाधान राशि के अतिरिक्त 1.26 करोड़ रुपये ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.8)

IV. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

“परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा” पर समीक्षा के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आए।

- अपर्याप्त कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप 533.93 करोड़ रूपयें की बकाये की वसूली न किया जाना।

(प्रस्तर 4.2.6)

- बिना परमिट संचालित वाहनों की चेकिंग न करने से 24.34 करोड़ रुपये की क्षति।

(प्रस्तर 4.2.7)

- अपराधों पर 8.97 करोड़ रुपये का कम प्रशमन।

(प्रस्तर 4.2.8)

- बिना स्वस्थता प्रमाण-पत्र संचालित वाहनों को चेक न किये जाने से 34.15 लाख रुपये की क्षति।

(प्रस्तर 4.2.9)

लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी अन्य अनियमितताएँ:-

- बैठने की क्षमता का गलत निर्धारण करने से 3.04 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति।

(प्रस्तर 4.4)

V. अन्य कर प्राप्तियों

- 1.12 करोड़ रुपये के संग्रह प्रभार की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 5.3)

VI. अन्य विभागीय प्राप्तियों

- शासकीय राजस्व 1.09 करोड़ रुपये अनधिकृत रूप से व्यय के मद में उपयोग किया गया।

(प्रस्तर 6.2.7)

- लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा परियोजना निगम विभाग में स्टोन बोल्डर्स, मोरम तथा मिट्टी के संग्रह पर 2.03 करोड़ रुपये रायल्टी के रूप में वसूली न किया जाना ।

(प्रस्तर 6.4)

- पट्टा विलेख निष्पादित न किये जाने के कारण 8.92 करोड़ रुपये की रायल्टी की क्षति ।

(प्रस्तर 6.7)

- प्रत्याभूति शुल्क 310.63 करोड़ रुपये या तो वसूल नहीं की गयी या कम वसूल की गयी ।

(प्रस्तर 6.8)



अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ें नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
I. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व					
(क) कर राजस्व	10,979.97	10,388.82	12,783.81	13,601.23	15,692.61
(ख) करेतर राजस्व	1,944.65	1,787.07	1,913.49	2,282.08	2,720.29
योग	12,924.62	12,175.89	14,697.30	15,883.31	18,412.90
II. भारत सरकार से प्राप्तियों					
(क) विभाज्य संघीय अंश मदों में राज्य का भाग	9,045.47	10,130.49	10,814.87	13,272.97	15,055.26 ¹
(ख) सहायक अनुदान	2,773.18	3,291.53	2,309.02	2,481.69	4,149.28
योग	11,818.65	13,422.02	13,123.89	15,754.66	19,204.54
III. राज्य की कुल प्राप्तियों (I+II)	24,743.27	25,597.91	27,821.19	31,637.97	37,617.44
IV. I से III की प्रतिशतता	52	48	53	50	49

1.1.2 वर्ष 2004-05 के लिये कर राजस्व का विवरण साथ ही साथ पूर्ववर्ती चार वर्षों के आँकड़ें नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं०	राजस्व शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2003-04 के सन्दर्भ में 2004-05 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-)	2003-04 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	व्यापार कर	5,436.52	5,052.40	6,850.93	7,684.13	8,888.31	(+) 1,204.18	(+) 15.67
2.	राज्य आबकारी	2,238.54	1,961.38	2,555.05	2,472.37	2,686.19	(+) 213.82	(+) 8.65
3.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1,269.75	1,429.29	2,078.68	2,296.06	2,682.36	(+) 386.30	(+) 16.82
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	85.81	76.65	77.33	80.21	81.74	(+) 1.53	(+) 1.91
5.	वाहनों पर कर	543.08	503.04	618.84	676.96	775.84	(+) 98.88	(+) 14.61
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	136.30	9.22	145.29	174.72	354.36	(+) 179.64	(+) 102.82
7.	भू-राजस्व	69.85	72.93	64.23	117.67	102.44	(-) 15.23	(-) 12.94
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	504.58	152.34	100.02	92.78	112.28	(+) 19.50	(+) 21.03
9.	अन्य (होटल प्राप्तियाँ एवं निगमित कर आदि)	4.49	3.67	3.70	6.33	9.09	(+) 2.76	(+) 43.29
	योग	10,979.97	10,388.82	12,783.81	13,601.23	15,692.61	(+) 2,091.38	(+) 15.38

अन्तर के लिए कारण जहाँ भी महत्वपूर्ण था यद्यपि शासन से पूछा गया था (दिसम्बर 2005) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2006)।

¹ विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2004-05 के वित्त लेखा में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखों का विवरण संख्या-11' देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में लेखा शीर्षक कर राजस्व के अन्तर्गत-0020- निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032- धन पर कर, 0037-सीमाकर, 0038-संघ उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर, 0045 सामग्री व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क-राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़ों को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

1.1.3 वर्ष 2004-2005 के लिये करेतर राजस्व का विवरण पूर्ववर्ती चार वर्षों के आँकड़ों के साथ निम्नांकित सारिणी में दर्शाये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2003-2004 के सन्दर्भ में 2004-2005 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-)	2003-2004 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1. विविध सामान्य सेवाएँ	55.48	39.44	48.28	41.80	58.02	(+) 16.22	(+) 38.80
2. ब्याज प्राप्तियाँ	525.17	543.49	515.38	658.09	597.93	(-) 60.16	(-) 9.14
3. वानिकी एवं वन्य जीव	76.86	68.31	86.27	60.96	107.42	(+) 46.46	(+) 76.21
4. बृहत एवं मध्यम सिंचाई	282.13	115.76	90.12	136.10	176.60	(+) 40.50	(+) 29.76
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	177.24	137.66	255.35	227.68	581.02	(+) 353.34	(+) 155.19
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	61.51	131.47	110.95	116.91	128.23	(+) 11.32	(+) 9.68
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	196.44	190.19	262.54	251.05	292.01	(+) 40.96	(+) 16.32
8. पुलिस	85.29	67.38	95.40	75.91	97.58	(+) 21.67	(+) 28.55
9. क्रॉप हस्बेन्ड्री	58.36	75.77	25.58	188.73	18.60	(-) 170.13	(-) 90.14
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	23.53	36.33	19.59	33.65	17.25	(-) 16.40	(-) 48.74
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	31.74	31.14	41.44	42.69	42.03	(-) 0.66	(-) 1.55
12. लघु सिंचाई	18.96	17.73	12.11	18.53	12.53	(-) 6.00	(-) 32.38
13. सड़क एवं सेतु	29.93	16.27	17.97	41.79	31.67	(-) 10.12	(-) 24.22
14. लोक निर्माण	26.94	14.66	25.26	19.92	31.44	(+) 11.52	(+) 57.83
15. सहकारिता	6.54	5.23	6.18	7.57	8.15	(+) 0.58	(+) 7.66
16. अन्य	288.53	296.24	301.07	360.70	519.81	(+) 159.10	(+) 44.11
योग	1,944.65	1,787.07	1,913.49	2,282.08	2,720.29	(+) 438.20	(+) 19.20

अन्तर के लिए कारण जहाँ भी महत्वपूर्ण था यद्यपि शासन से पूछा गया था (दिसम्बर 2005) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2006)।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

वर्ष 2004-2005 के दौरान कर एवं करेतर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य मुख्य शीर्ष में भिन्नता निम्नांकित सारिणी में दी गयी है :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
(क) कर राजस्व				
1. व्यापार कर	9,000.00	8,888.31	(-) 111.69	(-) 1.24
2. राज्य आबकारी	3,000.00	2,686.19	(-) 313.81	(-) 10.46
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2,564.00	2,682.36	(+) 118.36	(+) 4.62
4. माल एवं यात्रियों पर कर	582.91	81.74	(-) 501.17	(-) 85.98
5. वाहनों पर कर	501.58	775.84	(+) 274.26	(+) 54.68
6. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर	112.58	112.28	(-) 0.30	(-) 0.26
7. विद्युत पर कर एवं शुल्क	187.41	354.36	(+) 166.95	(+) 89.08
8. भू-राजस्व	75.00	102.44	(+) 27.44	(+) 36.59

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
(ख) करेतर राजस्व				
1. विविध सामान्य सेवाएँ	81.10	58.02	(-) 23.08	(-) 28.46
2. ब्याज प्राप्ति	438.34	597.93	(+) 159.59	(+) 36.41
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	79.31	107.42	(+) 28.11	(+) 35.44
4. बृहत् एवं मध्यम सिंचाई	196.50	176.60	(-) 19.90	(-) 10.13
5 शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	55.82	581.02	(+) 525.20	(+) 940.88
6. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	290.00	292.00	(+) 2.00	(+) 0.69

अन्तर के लिए कारण जहाँ भी महत्वपूर्ण था यद्यपि शासन से पूछा गया था (दिसम्बर 2005) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2006)।

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत सकल संग्रह पर हुए व्यय के प्रतिशत के साथ ही साथ वर्ष 2003-04 के दौरान सकल संग्रह पर हुए व्यय के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2003-04 के लिए अखिल भारतीय औसत
व्यापार कर	2002-03	6,850.93	167.40	2.4	1.15
	2003-04	7,684.13	197.13	2.6	
	2004-05	8,888.31	178.53	2.0	
वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	2002-03	696.17	11.76	1.7	2.57
	2003-04	757.17	12.71	1.7	
	2004-05	857.58	12.99	1.6	
राज्य आबकारी	2002-03	2,555.05	25.75	1.0	3.81
	2003-04	2,472.37	28.51	1.2	
	2004-05	2,686.19	29.66	1.1	
स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	2002-03	2,078.68	36.63	1.8	3.66
	2003-04	2,296.06	50.59	2.2	
	2004-05	2,682.36	58.84	2.2	

उपरोक्त में देखा जा सकता है कि व्यापार कर मद में संग्रह की लागत राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है।

1.4 कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 1999-2000 से 2004-2005 तक के लिये वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु नियत मामले, वर्ष में निस्तारित किये गये मामलों तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया था, नीचे दिया गया है :

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु नियत मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	कालम 5 की कालम 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1999-2000	4,57,508	4,89,838	9,47,346	4,89,357	4,57,989	51.66
2000-01	4,57,989	4,61,697	9,19,686	4,90,853	4,28,833	53.37
2001-02	4,28,833	5,24,561	9,53,394	4,85,771	4,67,623	50.95

² विभाग द्वारा सूचित

1	2	3	4	5	6	7
2002-03	4,67,623	5,29,858	9,97,481	5,21,969	4,75,512	52.33
2003-04	4,75,512	4,83,428	9,58,940	4,76,263	4,82,677	49.67
2004-05	4,82,677	5,83,693	10,66,370	5,38,168	5,28,202	50.47

1.5 प्रति करदाता व्यापार कर संग्रह

वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान करदाता की संख्या, व्यापार कर राजस्व और प्रति करदाता राजस्व, जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया, नीचे सारिणी में दिया गया है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	करदाता की संख्या (लाख में)	व्यापार कर राजस्व	राजस्व प्रति करदाता
2000-01	3.83	5,82,892	1.52
2001-02	3.85	6,15,855	1.59
2002-03	4.07	7,10,393	1.74
2003-04	4.52	7,65,135	1.69
2004-05	4.76	8,88,831	1.87

1.6 राजस्व के बकाये

प्रमुख राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2005 को राजस्व के बकाये की स्थिति, जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया था निम्न प्रकार थी:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया		टिप्पणी
		योग	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये	
1	2	3	4	5
1	व्यापार कर	7,209.68	उपलब्ध नहीं	7,209.68 करोड़ रुपये में से 711.00 करोड़ रुपये के लिए माँग भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। न्यायालयों, सरकार द्वारा कमशः 1,018.06 करोड़, 352.76 करोड़ रुपये की राशि स्थगित कर दी गयी थी। सरकारी विभागों पर 95.90 करोड़ रुपये और अर्द्ध सरकारी विभागों पर 119.62 करोड़ रुपये की वसूली बकाया है। 979.52 करोड़ रुपये की माँग के अपलिखित होने की सम्भावना थी। 126.72 करोड़ रुपये परिवहन पर बकाया है। 651.39 करोड़ रुपये का वसूली प्रमाणपत्र दूसरे राज्यों को भेज दिया गया। वसूली प्रमाणपत्र द्वारा अनाच्छादित 3154.71 करोड़ रुपये का बकाया अवशेष विभाग द्वारा विशेष कार्यवाही के अधीन है।
2	मनोरंजन कर	12.17	3.61	विभाग द्वारा राजस्व के बकाये का विश्लेषण नहीं दिया गया है।
3	राज्य आबकारी	60.13	उपलब्ध नहीं	60.13 करोड़ रुपये में से न्यायालय तथा सरकार द्वारा वसूली की राशि कमशः 16.81 करोड़ रुपये तथा 1.46 करोड़ रुपये स्थगित कर दी गयी थी। 2.22 करोड़ रुपये की माँग को बट्टे खाते में डाला जाना है। अवशेष बकाया 39.64 करोड़ रुपये विभाग द्वारा वसूलने योग्य है।
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर			उपलब्ध नहीं
	मार्ग कर	4.81	2.84	
	माल कर	5.60	2.82	
	यात्री कर	629.18	228.07	

1.7 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-2005 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू-राजस्व, मनोरंजन कर, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, गृह एवं शहरी विकास, शिक्षा, खान एवं खनिज विभाग, पुलिस, वित्त विभाग आदि के अभिलेखों की नमूना जाँच से 2114 मामलों में 642.86 करोड़ रुपये के कर के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व क्षति के मामले प्रकाश में आये। वर्ष 2004-2005 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 133 मामलों में 27.73 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किये जिसमें से 119 मामलों में 1.63 करोड़ रुपये मार्च 2005 तक वसूल किये गये।

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण, शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित 2 समीक्षाएं सहित 22 प्रस्तर हैं जिसमें 449.74 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है। विभाग/सरकार ने 25 मामलों में 30.39 करोड़ रुपये की सन्निहित धनराशि को अगस्त 2005 और सितम्बर 2005 में हुई वार्ता में स्वीकार कर लिया है। जिसमें से 3 मामलों में 1.13 करोड़ रुपये वसूल हो चुका है। शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2005)।

1.8 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, करों, अभिकरों, शुल्क आदि के कम आरोपण पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों के साथ ही साथ लेखा परीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पाई गई कमियों, जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है। अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 2004 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निस्तारण 30 जून 2005 तक विभागों द्वारा लम्बित था। साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनरूपी आँकड़ें नीचे दिये गये हैं:

क्र. सं.		2003	2004	2005
1.	जून तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	9,308	8,412	8,567
2.	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	15,741	17,506	17,394
3.	निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	2,727.30	4,296.86	4,102.33

जून 2005 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभागवार विभाजन नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित है
1	वानिकी एवं वन्य जीवन	835	1,517	1,441.11	1991-92 से 2004-05
2	व्यापार कर	1,228	5,685	1,628.31	1984-85 से 2004-05
3	राज्य आबकारी	661	959	382.38	1984-85 से 2004-05
4	भू-राजस्व	924	1,297	43.25	1987-88 से 2004-05
5	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	1,105	2,421	71.30	1984-85 से 2004-05

क्र. सं.	प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की घनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित हैं
6	लोक निर्माण	455	754	30.93	1985-86 से 2004-05
7	सिंचाई	393	672	88.92	1984-85 से 2004-05
8	गन्ने के कय पर कर	97	113	58.93	1985-86 से 2004-05
9	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1,931	2,705	253.20	1984-85 से 2004-05
10	कृषि	209	311	24.58	1985-86 से 2004-05
11	विद्युत शुल्क	320	365	41.96	1985-86 से 2004-05
12	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	119	187	19.81	1991-92 से 2004-05
13	सहकारिता	105	113	5.97	1985-86 से 2004-05
14	मनोरंजन कर	132	169	5.83	1986-87 से 2004-05
15	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	42	112	1.34	2002-03 से 2004-05
16	जेल	11	14	4.51	2002-03 से 2004-05
	योग	8,567	1,7394	4102.33	

यह शासन के संज्ञान में मई 2005 में लाया गया; अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों को निस्तारित करने के लिए शासन द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2005)।

1.9 लोक लेखा समिति द्वारा विचार विमर्श हेतु अनिस्तारित प्रस्तर/समीक्षाएं

लोक लेखा समिति द्वारा विचार विमर्श हेतु 31 जुलाई 2005 तक लम्बित लेखा परीक्षा प्रस्तरों/समीक्षाओं का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	व्यापार कर	राज्य आबकारी	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	भू-राजस्व	अन्य राजस्व प्राप्तियाँ	वन प्राप्तियाँ	अन्य विभागीय प्राप्तियाँ
1984-85	10	Nil	09	09	02	Nil	11	09
1985-86	11	07	16	04	05	07	11	14
1986-87	12	04	23	04	03	05	11	14
1987-88	14	10	17	05	05	06	08	Nil
1988-89	19	11	09	04	04	05	07	16
1989-90	12	10	09	02	06	04	11	20
1990-91	17	06	07	02	04	05	11	16
1991-92	13	06	05	04	02	05	06	11
1992-93	13	09	11	03	02	05	09	14
1993-94	15	07	12	03	02	04	06	13
1994-95	09	07	12	03	02	NIL	08	NIL
1995-96	05	03	05	01	NIL	05	08	03
1996-97	13	06	08	03	01	04	01	05
1997-98	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	04
1998-99	03	शून्य	शून्य	05	शून्य	02	शून्य	शून्य
1999-00	08	01	08	04	04	शून्य	03	शून्य
2000-01	05	04	01	02	01	02	01	05
2001-02	14	02	05	02	01	04	02	04
2002-03	13	02	03	03	01	02	01	01
2003-04	12	02	03	05	01	शून्य	शून्य	02
योग	218	95	163	68	46	69	113	150
कुल योग								922

1.10 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का उत्तरवर्ती- सारांश

विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किए गये प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जबाब देहिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदन में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों और समीक्षाओं, चाहे वह लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण के लिए लिया गया हो या न लिया गया हो ; पर विभाग द्वारा स्वतः कदम उठाने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किया। 1999-2000 से 2003-2004 की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, जो पहले ही राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, में सम्मिलित प्रस्तरों/समीक्षाओं से सम्बन्धित व्याख्यात्मक टिप्पणी निर्धारित अवधि तीन माह बीत जाने के बाद भी दिसम्बर 2005 तक कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 1999-2000 से अवशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ निम्नवत् है :

प्रतिवेदन वर्ष	विधायिका के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की तिथि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या	प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या जिस पर विभाग द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है	प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या जिस पर विभाग द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणी अपेक्षित है
1999-2000	31-05-2001	39	39	शून्य
2000-2001	17-09-2003	32	29	03
2001-2002	27-07-2004	34	25	09
2002-2003	08-11-2004	26	11	15
2003-2004	20-07-2005	25	10	15
	योग	156	114	42

मार्च 2000, मार्च 2001, मार्च 2002, मार्च 2003 और मार्च 2004, में समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर मई 2001, सितम्बर 2003, जुलाई 2004, नवम्बर 2004 और जुलाई 2005 में रखा गया। यद्यपि वर्ष 1999-2000 से 2003-04 की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की व्याख्यात्मक टिप्पणियों को तैयार करने की तीन महीने की सीमा समाप्त हो गयी लेकिन विभाग ने अब तक 42 प्रस्तरों की प्रतिकारी व्याख्यात्मक टिप्पणी न तो तैयार की, न ही प्रस्तुत किया।

अध्याय-2 व्यापार कर विभाग

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-05 के दौरान व्यापार कर कार्यालयों के कर निर्धारण वादों तथा अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण, अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण अथवा कम आरोपण तथा कर की अनियमित छूट इत्यादि के 1,150 मामले पाये गये जिसमें 152.48 करोड़ रुपये की राशि विहित थी, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:-

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण अथवा कम आरोपण	646	48.65
2.	अनियमित कर मुक्ति	128	4.20
3.	अतिरिक्त कर का अनारोपण	44	0.53
4.	कर की गलत दर	176	2.53
5.	माल का गलत वर्गीकरण	15	0.06
6.	आवर्तन (टर्नओवर) पर कर लगने से छूट जाना	23	0.07
7.	केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमिततायें	11	0.36
8.	गणना की त्रुटि	19	1.12
9.	“कर निर्धारण एवं व्यापार कर संग्रह” पर समीक्षा	01	72.21
10.	अन्य अनियमिततायें	87	22.75
	योग	1,150	152.48

वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग ने 8 मामलों में निहित 1.01 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिसमें 4 मामलों में निहित 4.95 लाख रुपये की वसूली की गई।

कुछ निदर्शी मामले तथा “कर निर्धारण एवं व्यापार कर संग्रह” पर एक समीक्षा जिसमें 85.02 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तारों में दिये गये हैं:

2.2 कर निर्धारण एवं व्यापार कर संग्रह पर समीक्षा

मुख्य अंश

- 19 व्यापार कर कार्यालयों के 32 व्यापारियों के विरुद्ध 5.11 करोड़ रुपये का कम/नहीं करारोपण।

(प्रस्तर 2.2.8)

- 10 व्यापार कर कार्यालयों के 14 व्यापारियों के प्रकरण में 2.51 करोड़ रुपये के प्रवेश कर का अनारोपण।

(प्रस्तर 2.2.8)

- 32 व्यापार कर कार्यालयों के 33 व्यापारियों के प्रकरण में 4.92 करोड़ रुपये अर्थदण्ड का अनारोपण।

(प्रस्तर 2.2.8)

- नई औद्योगिक इकाईयों को गलत पात्रता/मान्यता प्रमाणपत्र जारी किये जाने के फलस्वरूप 57.86 करोड़ रुपये कर की गलत छूट अथवा कर में कमी स्वीकृत किये जाने से राजस्व की क्षति ।

(प्रस्तर 2.2.9)

- तीन व्यापार कर कार्यालयों के चार व्यापारियों को 1.67 करोड़ रुपये की अनियमित करमुक्ति ।

(प्रस्तर 2.2.10)

प्रस्तावना

2.2.1 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 (उ.प्र.व्या.क.अ.) एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (के.बि.क.अ.), 1956, में बने नियमों के अधीन एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार व्यापारियों का पंजीयन, कर आरोपण, कर निर्धारण तथा कर की वसूली की जाती है। पंजीकृत व्यापारी जिसका कुल टर्नओवर रू0 10 लाख से अधिक या रू0 10 लाख से कम है से अपेक्षित है कि वह टर्नओवर का मासिक/त्रैमासिक विवरण पत्र, कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करे। व्यापारियों से विवरण पत्रों की प्राप्ति पर, विभाग कानून में उल्लिखित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत कार्यपालक दिशा निर्देशों के अनुसार कर निर्धारण का त्वरित निस्तारण करता है। व्यापारी का अन्तिम कर निर्धारण संगत वर्ष के कर निर्धारण की समाप्ति से लेकर दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व तक पूर्ण होना अपेक्षित है, अन्यथा कर निर्धारण कालबाधित हो जायेगा। कर निर्धारण पारित करने के बाद अवशेष कर यदि कोई हो, हेतु व्यापारी पर एक मांग पत्र तामील होगी, जो कि नोटिस की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर भुगतान योग्य है। कर के भुगतान में विलम्ब हेतु व्यापारी द्वारा 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय है। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड भी आरोपणीय है। इस प्रकार कर, ब्याज एवं अर्थदण्ड, जिसका भुगतान अवशेष है, तथा व्यापार कर में बकाया बनता है, भू राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य है।

संगठनात्मक ढांचा

2.2.2 लखनऊ स्थित मुख्यालय में कमिश्नर, व्यापार कर (क0व्या0क0) के अधीन व्यापार कर विभाग का समग्र नियंत्रण, निदेशन एवं अधीक्षण है। राज्य में 14 जोन हैं प्रत्येक जोन अतिरिक्त कमिश्नर व्यापार कर (अ0क0व्या0क0) के अधीन है। जोन 36 प्रशासनिक परिक्षेत्रों में बँटा है, परिक्षेत्र ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) [ज्वा0क0(का0)] के अधीन है। परिक्षेत्र को पुनः मंडलों व खण्डों में बाँटा गया है, प्रत्येक का प्रभारी विभागीय कर निर्धारण अधिकारी यथा डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) [डि0क0(क0नि0)] और सहायक कमिश्नर (स0क0) है।

राजस्व के त्रुटिपूर्ण बहाव पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु, समस्त राज्य में 14 जोनल ज्वाइंट कमिश्नर, विशेष अनुसन्धान शाखा, [ज्वा0क0 (वि0अ0शा0)] की नियुक्ति की गई है। वे छापे मारते हैं तथा विपरीत तथ्यों की जानकारी होने पर अपनी आख्या कर निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित करते हैं। देय कर के संग्रह का दायित्व मुख्यालयों पर ज्वाइंट कमिश्नर (संग्रह), [ज्वा0क0(सं0)] के अधीन है जबकि मुख्यालय के बाहर 16 डिप्टी कमिश्नर (कर संग्रह अधिकारी) [डि0क0 (क0सं0अ0)] हैं।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.2.3 1998-99 से 2002-03 की अवधि हेतु 2000-01 व 2004-05 के मध्य 36 में से 15 परिक्षेत्रों के कर निर्धारण अधिकारियों सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर (क0सं0अ0) और

असिस्टेंट कमिश्नर सहायता केन्द्र (जॉच चौकी/सचल दल) सहित के अभिलेखों की नमूना जॉच जुलाई 2004 व मार्च 2005 के मध्य की गई ।

“कर निर्धारण एवं व्यापार कर संग्रह” पर तैयार समीक्षा के परिणाम से जून 2005 में राज्य सरकार को एक लेखापरीक्षा समीक्षा समिति राज्य प्राप्ति (ले0प0स0स0रा0प्रा0) की बैठक में उपस्थित होने के अनुरोध के साथ अवगत कराया गया ताकि समीक्षा कार्य सम्पन्न होने के पूर्व विभाग/शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जा सके। ले0प0स0स0रा0प्रा0 की बैठक 1 अगस्त 2005 को विशेष सचिव (वित्त/कर एवं निबन्धन) व व्यापार कर विभाग के प्रतिनिधियों के साथ की गई। सदस्यों के द्वारा प्रकट किये गये दृष्टिकोणों को समीक्षा के निष्पादन के दौरान ध्यान में रखा गया।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.2.4 समीक्षा कार्य इस दृष्टिकोण से किया गया कि :

- अधिनियमों, नियमों तथा विभागीय अनुदेशों के अनुपालन को किस हद तक सुनिश्चित किया गया ;
- कर निर्धारण तथा राजस्व संग्रह के मामलों में विभागीय तंत्र की दक्षता का मूल्यांकन तथा
- करों का सही ढंग से आरोपण, समय से कर निर्धारण, संग्रहण तथा बकाये के मामलों में दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करने में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का परीक्षण किया जा सके।

लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ

2.2.5 व्यापार कर विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की दक्षता की जॉच के उपक्रम में व्यापारियों का पंजीयन, विवरण पत्रों की जॉच, कर निर्धारण, एवं वसूली आदि की लेखापरीक्षा में जॉच की गई। उपर्युक्त लेखापरीक्षा उपलब्धियों का वर्णन नीचे दिया गया है:

राजस्व का रुझान

2.2.6 वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के दौरान विभाग के बजट अनुमान की तुलना वास्तविक प्राप्तियों से की गयी है जिसका अलग-अलग विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अनुमानित बजट	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता	भिन्नता की प्रतिशतता
1999-2000	4,320.00	3,703.59	(-)616.41	(-) 14.27
2000-2001	4,900.00	5,436.52	(+)536.52	(+) 10.95
2001-2002	5,571.32	5,052.40	(-)518.92	(-) 9.31
2002-2003	5,493.70	6,850.93	(+)1,357.23	(+) 24.71
2003-2004	8,138.49	7,684.13	(-)454.36	(-) 5.58

पंजीयन

2.2.7 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम व उसके साथ पठित नियम प्रावधानित करते हैं कि प्रत्येक व्यापारी को, जिसका वार्षिक टर्नओवर निर्माताओं की दशा में 1.50 लाख रुपये तथा अन्य के मामले में 1.00 लाख रुपये से अधिक हो, व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से 30 दिन के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में पंजीयन हेतु आवेदन देय होगा।

उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि अधिकृत अधिकारी माल अभिग्रहीत करता है तथा सम्बन्धित व्यापारी के स्पष्टीकरण से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त माल लेखों, रजिस्ट्रों तथा अन्य अभिलेखों में दर्शाया नहीं गया है तो वह अर्थदण्ड आरोपित करते हुए आदेश पारित करेगा जो कि ऐसे माल के मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा अर्थदण्ड की भरपाई हो जाने के पश्चात माल को अवमुक्त कर देगा। किन्तु ऐसे अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

सात व्यापार कर कार्यालयों¹ के अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि व्यापार कर रहे 243 अपंजीकृत व्यापारियों के मामलों में 7.79 करोड़ रुपये का माल (1.50 लाख रुपये से लेकर 58.31 लाख रुपये तक प्रति प्रेषण) सचल दल (स.द.) सहायता केन्द्र (स.के.) के अधिकारियों द्वारा अभिग्रहीत किये गये और 3.11 करोड़ रुपये अर्थदण्ड आरोपित कर उनसे वसूली की गई किन्तु उन्हें विभाग में पंजीकृत करने हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये।

यह संकेत करता है कि इन अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत करने के लिए कोई आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र नहीं बनाया गया था जिसके कारण विभाग को राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

कर निर्धारण

2.2.8 उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम में यह व्यवस्था है कि किसी भी वर्ष हेतु कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण उस वर्ष की समाप्ति के दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जा सकता। सुदृढ़ कर निर्धारण प्रणाली राज्य के प्राप्तियों की मुख्य धुरी है।

कमिश्नर व्यापार कर द्वारा 12 दिसम्बर 1978 व 29 नवम्बर 1985 को जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, कर निर्धारण अधिकारी को यह देखने की आवश्यकता है कि व्यापारी द्वारा घोषित टर्नओवर सर्वेक्षण/वि0अनु0शा0 की रिपोर्ट, यदि कोई हो के सन्दर्भ में उसकी पुस्तकों में प्रदर्शित टर्नओवर के अनुसार है। उसे यह भी देखना चाहिये कि व्यापारी द्वारा कर में छूट का दावा सही है या नहीं तथा कर की दर सही आरोपित की गई है।

इन निर्देशों/दिशा निर्देशों के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी इन निर्देशों/आदेशों का पालन करने में नाकाम रहे जिसके फलस्वरूप नीचे दिये गये विवरण के अनुसार राजस्व की क्षति हुई :

कम/नहीं करारोपण

अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं पर विभिन्न दरों से कर शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कर की दरों की अनुसूची के अनुसार आरोपणीय है। जो वस्तुयें वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

• 19 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कर निर्धारण अधिकारियों ने वर्ष 1994-95 से 2001-02 के लिये 19 व्यापारियों का कर निर्धारण आदेश पारित करते समय दिसम्बर 2000 व मार्च 2004 के मध्य या तो सही दरों से कर आरोपित नहीं किया या बिकी की गई ऐसी वस्तुओं पर कर आरोपित ही नहीं किया। फलस्वरूप परिशिष्ट-1 में उल्लिखित विवरण के अनुसार रू0 2.88 करोड़ कर कम/नहीं आरोपित किया गया।

सम्प्रेक्षा में इंगित किए जाने के बाद विभाग ने 7 मामलों में रू0 8.50 लाख कर दिसम्बर-2003 तथा सितम्बर-2004 के मध्य आरोपित किया शेष प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2005)।

¹ अ.क. (स.द.) एटा, अ.क. (स.के.) टी.पी. नगर गाजियाबाद, अ.क. (स.द.)- 2 व 3 गाजियाबाद, अ.क. (स.द.) हापुड, अ.क. (स.द.) 1 नोएडा तथा अ.क. (स.द.) 2 नोयडा।

प्रकरण शासन के संज्ञान में मई 2002 तथा जुलाई 2004 के मध्य लाया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2005)।

• अप्रैल-2003 से नम्बर 2004 के मध्य 13 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि माल के गलत वर्गीकरण के कारण जुलाई 2001 से मार्च 2004 तक 13 व्यापारियों पर सही दर के बजाय गलत दर से करारोपण किया गया। फलस्वरूप परिशिष्ट -2 में उल्लिखित विवरण के अनुसार 2.23 करोड़ रुपये कम कर आरोपित किया गया।

अप्रैल-2003 और फरवरी-2004 के मध्य सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात विभाग ने मार्च 2004 और अक्टूबर-2004 के मध्य 3 प्रकरणों में कर निर्धारण को संशोधित करते हुए 2.95 लाख रुपये हेतु मांग पत्र जारी किया। अन्य प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2005)।

मामले को दिसम्बर 2003 व जुलाई 2004 के मध्य शासन के संज्ञान में लाया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2005)।

प्रवेश कर का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश में माल के प्रवेश कर अधिनियम 2001 (जो कि 1 नवम्बर 1999 से प्रभावी हुआ) के अन्तर्गत 10.00 लाख रुपये व इससे अधिक कीमत की मशीनरी एवं उनके स्पेयर तथा कागज की खरीद पर क्रमशः 01.11.1999 एवं 01.11.2001 से 2 प्रतिशत तथा माल की कीमत का 4 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है।

10 व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान 14 मामलों में यह देखा गया कि 1999-2000 से 2001-02 की अवधि में 124.88 करोड़ रुपये कीमत की मशीनरी एवं उनके स्पेयर्स, चीनी तथा कागज की खरीद पर विभाग 2.51 करोड़ रुपये का प्रवेश कर आरोपित करने में असफल रहा जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम	वस्तु की कीमत	आरोपणीय प्रवेश कर की दर (प्रतिशत में)	प्रवेश कर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डिप्टी कमि० (क०नि०)-III, वाराणसी	1	1999-2000 व 2000-2001 फरवरी 2002 व 2003	मशीनरी एवं उनके स्पेयर्स	97.94	2	1.96
2.	डिप्टी कमि० (क०नि०)- XI लखनऊ	1	1999-2000 व 2000-01 जनवरी-2003	-उक्त-	2.35	2	0.05
3.	असि० कमि० (क०नि०)-IX लखनऊ	4	1999-2000 व 2000-01 अक्टूबर-01 व जनवरी -03	-उक्त-	11.29	2	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	डिप्टी कमि. (क.नि.)-IV, नोएडा	1	2000-01 व 2001-02	मशीनरी एवं उनके स्पेयर्स	2.69	2	0.05
			जनवरी -03 व दिसम्बर-03				
		1	2001-02	-उक्त-	0.38	2	0.01
			दिसम्बर-03				
5.	डिप्टी कमि. (क.नि.)-V, वाराणसी	1	2000-01	-उक्त-	0.95	2	0.02
			दिसम्बर-02				
6.	डिप्टी कमि0 (कर नि0)-II, झॉसी	1	2001-02	-उक्त-	0.35	2	0.01
			जुलाई-03				
7.	डिप्टी कमि0 (क0नि0), रायबरेली	1	2000-01	-उक्त-	1.66	2	0.03
			जनवरी-03				
8.	व्या0 कर अधि0 सेक्टर-1, उन्नाव	1	99-2000	-उक्त-	0.44	2	0.01
			मार्च-2002				
9.	डिप्टी कमि0 (क0 नि0) बदायूँ	1	2000-2001 व	चीनी	6.45	2	0.13
			2001-02				
			मार्च-02 व मार्च-03				
10.	असि. कमि. (क.नि.)-III लखनऊ	1	2001-02	कागज	0.38	4	0.01
			अप्रैल-03				
	योग	14			124.88		2.51

इसे सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर, विभाग ने सूचित किया कि एक मामले में 0.88 लाख रुपये प्रवेश कर की धनराशि जुलाई 2003 में आरोपित की गई, शेष मामलों में उत्तर की प्रतीक्षा रही (अगस्त 2005)।

छिपाये गये कर योग्य टर्नओवर पर करापवंचन

अधिनियम के अन्तर्गत टर्नओवर से तात्पर्य उस कुल धनराशि से है जिसके लिये सामग्री बिक्री के रूप में अथवा व्यापारी द्वारा लाभ तथा बिक्री से पूर्व होने वाले अन्य खर्चे जोड़ते हुये बिक्री की गई, या सीधे अथवा किसी अन्य के द्वारा, उसके खाते में अथवा अन्यो के खाते में, या नकद हेतु या स्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के रूप में प्रेषित अथवा वितरित की जाती है।

दो व्यापार कर कार्यालयों¹ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि फरवरी 2001 तथा अक्टूबर 2003 के मध्य कर निर्धारित किये गये दो व्यापारियों ने वर्ष 1998-99 से 2001-2002 के मध्य खरीद की राशि से कम मूल्य पर बिक्री कर 6.82 करोड़ रुपये का कर योग्य टर्नओवर छिपाया। इस प्रकार बिक्री योग्य टर्नओवर के अवमूल्यन/छिपाये जाने के फलस्वरूप 15 लाख रुपये कर का अपवंचन हुआ।

अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण अधिकारी सन्तुष्ट हैं कि व्यापारी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा जानबूझकर अपने टर्नओवर का गलत

¹ डि0क0 (क0नि0)-VII, कानपुर तथा डि0क0 (क0नि0)-XI, लखनऊ ।

विवरण दाखिल किया है जिससे कि खरीद अथवा बिक्री पर कर लगने से रह जाता है तो वह ऐसे व्यापारी को, कर के अतिरिक्त उसके द्वारा बचाये गये कर की राशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अधिक नहीं तक अर्थदण्ड के भुगतान के लिये कह सकता है।

वि० अनु० शा० का मुख्य कार्य करापवंचन रोकने के लिए छापा मारना, खोज तथा व्यापारियों की पुस्तकों का अधिग्रहण करना है। विपरीत तथ्य प्रकाश में आने पर प्रतिवेदन तैयार करना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु उसे क०नि०अ० को भेज देना है। दिनांक 7 दिसम्बर 2000 के परिपत्र में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत विशेष अनुसंधान शाखा से प्राप्त प्रतिवेदन पर कर निर्धारण अधिकारी से करारोपण, अर्थदण्ड एवं ब्याज आदि की कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

11 व्यापार कर कार्यालयों¹ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नवम्बर 2000 व दिसम्बर 2003 के मध्य कर निर्धारित किये गये 12 व्यापारियों ने 1984-85, 1996-97, 1998-99 से 2002-2003 की अवधि में 62.84 करोड़ रुपये के विक्रय धन के टर्नओवर को छिपाया जिस पर विभाग ने 7.84 करोड़ रुपये का कर आरोपित किया किन्तु 3.92 करोड़ रुपये अर्थदण्ड को आरोपित करने में नाकाम रहा। परिणाम स्वरूप 3.92 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

सम्प्रेक्षा में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने दो प्रकरणों में सितम्बर 2001 और मई 2004 के मध्य रू० 10.66 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया। अन्य प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2005)।

• उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्माताओं को विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयुक्त करने हेतु कच्चे माल मशीनरी, प्लाण्ट एण्ड इक्यूपमेण्ट की खरीद पर फार्म 3-ख प्रस्तुत किये जाने की शर्तों के पूरा करने पर कर में विशेष छूट का प्रावधान है। उन मामलों में जहाँ मान्यता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए माल का प्रयोग किया गया हो अथवा किसी अन्य प्रकार से उसका निस्तारण किया गया हो तो व्यापारी अर्थदण्ड का भागी होगा जो कि उसे कर के रूप में प्राप्त छूट से कम नहीं होगा किन्तु प्राप्त छूट के तीन गुने से अधिक नहीं होगा।

5 व्यापार कर कार्यालयों² की सम्प्रेक्षा के दौरान यह पाया गया कि जुलाई 2003 और जून 2004 के मध्य विज्ञापित माल के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक 5 व्यापारियों ने 1999-2000 और 2000-01 में फार्म 3-ख के द्वारा रू. 1.83 करोड़ मूल्य का माल रियायती दर पर कय किया। कय किये गये माल का प्रयोग मान्यता प्रमाण पत्र में उल्लिखित वस्तु के निर्माण में नहीं किया गया। अतः व्यापारी 6.47 लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के दायी थे जो कि उनके द्वारा प्राप्त की गई कर के छूट के बराबर थी किन्तु विभाग द्वारा इसे आरोपित नहीं किया गया था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने सितम्बर 2004 में एक मामले में रू० 1.50 लाख कर आरोपित किया। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त-2005)।

प्रकरण शासन के संज्ञान में (मार्च 2004 व अगस्त 2004 के मध्य) लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त-2005)।

• उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो संकर्म संविदा के अनुसरण में किसी माल के स्वामित्व के अंतरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के

¹ अ०क०,खण्ड-I आजमगढ़; डि०क०.(क०नि०)-II गोरखपुर, डि०क०.(क०नि०)-V व XIII कानपुर; व्या०क०अ० मुगलसराय; डि०क०.(क०नि०)-II व IV मुजफ्फरनगर; डि०क०.(क०नि०) पीलीभीत; अ०क०,खण्ड-II सीतापुर अ०क०,खण्ड-I सन्त कबीर नगर तथा डि०क०.(क०नि०)-I वाराणसी।

² अ०क०,खण्ड-X, आगरा; अ०क०,खण्ड-II, सीतापुर; डि०क०.(क०नि०) सिकन्दराबाद; डि०क०.(क०नि०)-III, व VI वाराणसी।

कारण किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिए दायी हो, संविदाकार को भुगतान के समय देय राशि के 4 प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा और उसे अनुवर्ती माह की समाप्ति के पूर्व राजकोष में जमा करेगा। उल्लंघन की दशा में कर निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यापारी पर अर्थदण्ड आरोपित करेगा जो कि काटी जाने वाली परन्तु न काटी गई धनराशि के दोगुने से अधिक न होगी और उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राजकोष में जमा करेगा।

छ: व्यापार कर कार्यालयों¹ की सम्प्रेक्षा के दौरान नवम्बर 2002 व नवम्बर 2004 के मध्य यह पाया गया कि मार्च 2002 व मार्च 2004 के मध्य कर निर्धारित किये गये सात व्यापारियों ने 1999-2000 से 2001-2002 के मध्य ठेकेदारों से श्रोत पर 43.14 लाख रुपये कर की कटौती की किन्तु उसे कोषागार में विलम्ब से जमा किया। इस प्रकार 86.28 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया गया।

इसे सम्प्रेक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने सितम्बर 2004 में एक मामले में 9.19 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया, अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त-2005)।

प्रकरण शासन के संज्ञान में (सितम्बर 2004 व फरवरी 2005 के मध्य) लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त-2005)।

• उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी युक्ति-युक्त कारण के बिना विवरण पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या प्रस्तुत करते समय अपना देय कर जमा करने में असफल रहता है तो वह कर के अतिरिक्त देय कर के कम से कम 10 प्रतिशत किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं, यदि देय कर 10,000 रुपये तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो, अर्थदण्ड का दायी होगा।

मई 2002 और मई 2004 के मध्य नौ व्यापार कर कार्यालयों² की लेखा परीक्षा में यह उद्घाटित हुआ कि नौ व्यापारियों ने रू0 83.46 लाख का कर या तो विलम्ब से जमा किया या जमा ही नहीं किया। विलम्ब की अवधि एक दिन से 52 माह तक रही जिसके लिए व्यापारी 8.34 लाख रुपये न्यूनतम अर्थदण्ड के दायी थे, जिसे आरोपित नहीं किया गया।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने दिसम्बर-2002 और मार्च 2004 के मध्य दो मामलों में 1.63 लाख रुपये अर्थदण्ड आरोपित कर दिया अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था।

मामले दिसम्बर 2002 और मई 2004 के मध्य शासन के संज्ञान में लाये गये; उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त-2005)।

गलत पात्रता/मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने से राजस्व क्षति

2.2.9 पात्रता प्रमाणपत्र

उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम सपठित के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने एक योजना नई औद्योगिक इकाईयों को कर से छूट अथवा दर में कमी का लाभ देने के लिये तथा अप्रैल 1995 को अथवा इसके पश्चात कार्यरत इकाईयों के विस्तार या आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण हेतु विज्ञापित किया। कर की दर में कमी अथवा

¹ अ0क0,खण्ड -III भदोही,अ0क0,खण्ड -I इटावा; डि0क0.(क0नि0)-VI गाजियाबाद; अ0क0,खण्ड-II लखनऊ; अ0क0,खण्ड- VI मेरठ; तथा अ0क0,खण्ड -I सहारनपुर।

² व्या0क0अ0,खण्ड-I फिरोजाबाद; डि0क0.(क0नि0)-II, गोरखपुर; डि0क0.(क0नि0) गोण्डा;डि0क0.(क0नि0)-XVIII, कानपुर; व्या0क0अ0, खतौली;डि0क0.(क0नि0)-IV, लखनऊ; अ0क0, मऊ नाथमंजन; अ0क0, नजीबाबाद तथा डि0क0. (क0नि0)-I, नोएडा।

छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक को निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन जिला/परिक्षेत्र/राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। यद्यपि उद्योग विभाग पात्रता प्रमाण पत्र (पा0प्र0प0) जारी करने के लिए अधिकृत है लेकिन वह व्यापार कर विभाग की अनुशंसा से ऐसा करता है। समिति में व्यापार कर विभाग का प्रतिनिधि भी रहता है। व्यापार कर विभाग ने 18 मार्च 1986 को पा0प्र0प0 जारी करने के लिये प्रकरण सन्दर्भित करते समय केवल पात्र इकाईयों को ही लाभ प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित जाँचों का उल्लेख करते हुये निर्देश जारी किया। पुनः यदि कमिश्नर की राय है कि नई इकाई जिसे पा0प्र0प0 जारी किया है, लाभ प्राप्त करने हेतु अनुमन्य नहीं है, वह लिखित रूप में आदेश में उल्लिखित तिथि से पा0प्र0प0 निरस्त अथवा संशोधित कर सकता है तथा ऐसी तिथि, ऐसा आदेश जारी होने से पूर्व की हो सकती है।

8 व्यापार कर कार्यालयों¹ की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि 13 इकाईयां जो पात्रता प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं थीं को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किये गये जिसके परिणामस्वरूप विभाग को 57.86 करोड़ रुपये की हानि हुई मामले निम्नवत चर्चित हैं:

- उ.प्र. व्यापार कर अधिनियम के प्रावधानों सपटित जारी शासकीय विज्ञप्ति 31 मार्च 1995 के अन्तर्गत कर से छूट या कर की दर में कमी ऐसी वर्तमान इकाईयों को भी प्रदान किया जाना चाहिये जिन्होंने पूर्व में उत्पादित किये जाने वाली इकाईयों से भिन्न माल का निर्माण करने के लिये विविधीकरण लिया है।

व्यापार कर कार्यालयों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि विविधीकरण योजना के अन्तर्गत उन्हीं वस्तुओं के निर्माण हेतु तीन इकाईयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया जो वस्तुएं स्वभावतः उन्हीं वस्तुओं के अनुरूप थीं जिनका निर्माण पूर्व में ही ऐसी इकाईयों द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार अधिनियम/विज्ञप्ति के वर्तमान प्रावधानों के प्रतिकूल विविधीकरण योजना के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के फलस्वरूप 40.37 करोड़ रुपये की अधिक करमुक्ति प्रदान की गयी जिसमें से इकाईयों द्वारा 23.03 करोड़ रुपये की करमुक्ति का लाभ ले लिया गया है जैसा कि निम्नवत विवरण में दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मण्डल का नाम	छूट की अवधि	इकाई द्वारा पूर्व में उत्पादित वस्तुओं का नाम	विविधीकरण के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं का नाम	पात्रता प्रमाण पत्र द्वारा घोषित छूट की धनराशि	प्राप्त की गई करमुक्ति
1.	डि.क. कमि. (क.नि.) गौतम बुद्ध नगर	सितम्बर 1995 से सितम्बर 2005 तक	आटोमोबाईल टू-व्हीलर	श्रीगियर सिंगिल मिनी साईकल स्पीड मोटर	16.46	15.72
		जनवरी 1996 से जनवरी 2006 तक	-तदैव-	स्कूटर एवं उसके पार्ट्स	18.31	4.40

¹ डि0क0(क0नि0)- XII आगरा; डि0क0(क0नि0) गौतम बुद्ध नगर; डि0क0(क0नि0)-II व XI गाजियाबाद; डि0क0(क0नि0)-I कानपुर; डि0क0(क0नि0)-II लखनऊ; डि0क0(क0नि0)- IX नोएडा; डि0क0(क0नि0)-V वाराणसी।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	छूट की अवधि	इकाई द्वारा पूर्व में उत्पादित वस्तुओं का नाम	विविधीकरण के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं का नाम	पात्रता प्रमाण पत्र द्वारा घोषित छूट की धनराशि	प्राप्त की गई करमुक्ति
2.	डि.क. (क.नि.)-IX नोयडा	मार्च 1995 से मार्च 2003 तक	स्विच फ्यूज यूनिट्स और एयर सर्किट ब्रेकर्स एवं बस डक्ट (बिजली के सामान)	एच.आर.सी. फ्यूज ¹ (बिजली के सामान)	1.28	0.29
		सितम्बर 1995 से जून 2003 तक	-तदैव-	इलेक्ट्रिकल स्विचगियर्स जेनरेटर पार्ट्स (बिजलीकेसामान)	2.83	2.35
3.	डि.क. (क.नि.)-1ए गाजियाबाद	मार्च 1998 से मार्च 2006 तक	पैरासिटामाल टैबलेट्स (दवा)	पैरासिटामाल आई.पी. टैबलेट्स (दवा)	1.49	0.27
				योग	40.37	23.03

• यह न्यायिक² रूप से निर्णीत है कि करमुक्त वस्तुओं के निर्माण में लगी हुई इकाई, सह उत्पाद/निरर्थक उत्पाद की बिक्री पर कर से छूट की पात्र नहीं है।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-5 व्या.क. वाराणसी की सम्प्रेक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि चीनी (कर मुक्त) के निर्माण में लगी हुई एक इकाई को 15 वर्षों के लिये 75.36 करोड़ रुपये के शीरा, बैगास और प्रेसमड जो कि चीनी के सह उत्पाद हैं, हेतु छूट अनुमन्य करते हुए पात्रता प्रमाण पत्र 20 दिसम्बर 2002 को स्वीकृत किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप 75.36 करोड़ रुपये की अनियमित छूट की स्वीकृति की गयी जिसमें से व्यापारी ने 1.25 करोड़ रुपये की करमुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया है।

• शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 14 जून 1996 के अनुसार औद्योगिक इकाईयों जो कि, कोयला अपने सभी रूपों में कोक सहित तथा चारकोल के निर्माण में कार्यरत थीं, कर से छूट या दर में कमी की पात्र नहीं थीं।

डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-5 व्या.क. वाराणसी की सम्प्रेक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दो इकाईयों जो कि हार्ड कोक, लो ऐश एवं स्लोस्मोक फ्यूल कोक के निर्माण में कार्यरत थीं, को पात्रता प्रमाण पत्र दिनांक 27 अप्रैल 1998 एवं 16 जनवरी 2001 को वस्तुओं की बिक्री पर 2.16 करोड़ रुपये की छूट के लिये जारी किया गया। इकाईयों ने दिनांक 27 नवम्बर 1993 तथा 3 जनवरी 1997 को अपना उत्पादन शुरू किया। इकाईयों 2.16 करोड़ रुपये की छूट की पात्र नहीं थीं, जिसमें से व्यापारियों द्वारा 1.47 करोड़ रुपये कर मुक्ति का लाभ लिया जा चुका था।

• अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत ऐसी इकाईयों जिनका विस्तार या विविधीकरण किया गया है, को कर से छूट या कमी अनुमन्य होगी, जो कि ऐसी

¹ हाई रेपचर कैपेसिटी ।

² सर्वश्री किसान सहकारी चीनी मिल लि. नैनीताल बनाम स्टेट आफ उ.प्र.(एस.टी.आई.-1989पेज 294-इलाहाबाद हाई कोर्ट)

व्यापारी की हों जो इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन था, माल की बिक्री या क्रय पर व्यापार कर के सम्बन्ध में प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश (प्रा0इ0का0उ0प्र0) द्वारा प्रशासित किसी ऋण योजना के अधीन किसी देय के भुगतान में दोषी न हों। कमिश्नर व्यापार कर द्वारा जुलाई 2000 में जारी निर्देश के अनुसार किसी मामले में न्यायालय द्वारा किसी राशि का स्थगनादेश जारी किये जाने की दशा में व्यापारी कर न चुकाने का दोषी माना जायेगा।

पाँच व्यापार कर कार्यालयों¹ की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि छः व्यापारियों को विस्तारीकरण एवं विविधीकरण के लिए 69.20 करोड़ रुपये की कर में छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गये थे यद्यपि वे अपने देयों के भुगतान के लिए दोषी थे। इसके परिणामस्वरूप 69.20 करोड़ रुपये की कर में छूट गलत प्रदान की गई जिसमें से व्यापारियों द्वारा 7.63 करोड़ रुपये कर में छूट का लाभ लिया जा चुका था।

• विज्ञप्ति दिनांक 21 फरवरी 1997 के अन्तर्गत शासन ने एक योजना लागू की जिसके अनुसार विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण या बैकवर्ड इन्टीग्रेशन में 50 करोड़ रुपये या अधिक का अतिरिक्त पूँजी विनिधान करने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को दिनांक 1 दिसम्बर 1994 से कुछ शर्तों के अधीन कर से छूट या कर की दर में कमी का लाभ दिया जायेगा। यह सुविधा, ऐसी इकाईयों को साथ-साथ उपलब्ध नहीं होगी जो इस उद्देश्य हेतु अधिनियम के अन्तर्गत जारी अन्य अधिसूचनाओं के अधीन पूर्व में ही कर में छूट का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

डिप्टी कमि. (क.नि.)-IV नोयडा की सम्प्रेक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक इकाई को कलर टेलीविजन के निर्माण हेतु 1995 की योजना के अन्तर्गत स्थिर पूँजी विनिधान राशि 31.73 करोड़ रुपये के लिये पात्रता प्रमाण पत्र कर से छूट/कमी 31.73 करोड़ रुपये के लिए 8 वर्ष की अवधि हेतु जून 1997 से जून 2005 तक के लिये नवम्बर 1998 में जारी किया गया। 21 फरवरी 1997 को अधिसूचित योजना के अन्तर्गत इकाई को कुल स्थिर पूँजी विनिधान राशि 51.05 करोड़ रुपये हेतु पुनः पात्रता प्रमाण पत्र 76.58 करोड़ रुपये की कर में छूट/कमी के लिए 15 वर्ष की अवधि हेतु वर्ष 2001-02 में जारी किया गया। पुनः अतिरिक्त पूँजी विनिधान राशि 7.84 करोड़ रुपये के कारण वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक के लिये पात्रता प्रमाण पत्र 85.82 करोड़ रुपये की छूट के लिए नई योजना के अन्तर्गत अगस्त 1999 में प्रदान किया गया। चूँकि इकाई पहले से ही जारी विज्ञप्ति दिनांक 31 मार्च 1995 के आधार पर पूर्व में ही करमुक्ति/कर की दर में कमी का लाभ प्राप्त कर रही थी, अतः विज्ञप्ति दिनांक 21 फरवरी 1997 के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनियमित था। इसके परिणाम स्वरूप 54.09 करोड़ रुपये की कर में छूट गलत प्रदान की गयी जिसमें से व्यापारी द्वारा 21.40 करोड़ रुपये की छूट का लाभ प्राप्त कर लिया गया है।

• उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम के प्रावधानों के साथ पठित निर्गत शासकीय विज्ञप्ति 31 मार्च के अन्तर्गत कर से मुक्ति अथवा दर में कमी ऐसी इकाईयों को अनुमन्य थी जो कि पूर्व में स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित माल से भिन्न प्रकार का माल बना रही थीं। व्यापार कर आयुक्त, उ0प्र0 ने भी अपने परिपत्र दि0 13 अगस्त 2001 के द्वारा यह स्पष्ट किया कि श्वेत-श्याम टी0वी0 तथा रंगीन टी0वी0 एक ही प्रकृति की वस्तुएं हैं इसलिए कर से छूट या कर की दर में कमी अनुमन्य नहीं थी।

असिस्टेण्ट कमिश्नर (क0नि0)-II व्यापार कर गाजियाबाद के कार्यालय की अगस्त 2002 में लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्वेत-श्याम टी0वी0 के निर्माण हेतु 8 मई 1997 से 7 मई 2005 तक की अवधि के लिए कर से छूट या कर में कमी के लिए एक व्यापारी 31 मार्च 1995 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र

¹ डिप्टी कमि.(क.नि.)-X कानपुर; डि.कमि.(क.नि.)-II, लखनऊ; डि.कमि.(क.नि.)- II, गाजियाबाद; डि.कमि. (क.नि.)-XI, गाजियाबाद तथा डि.कमि.(क.नि.)- XII, आगरा ।

धारक था, को पुनः 17 जनवरी 1999 से 16 जनवरी 2007 तक की अवधि के लिए कर से छूट या कर में कमी हेतु विविधीकरण के अन्तर्गत रंगीन टी0वी0 निर्माण हेतु पात्रता-प्रमाण पत्र स्वीकृत किया गया। चूँकि रंगीन टी0वी0 और श्वेत-श्याम टी0वी0 की प्रकृति एक ही है इसलिए विविधीकरण के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना अनियमित था। व्यापारी ने रु0 25.76 करोड़ मूल्य के रंगीन टी0वी0 की बिक्री 1999-2000 से 2001-2002 के मध्य किया जिस पर रु0 3.08 करोड़ कर से छूट दिया गया। परिणाम स्वरूप 3.08 करोड़ रुपये के कर की क्षति हुई।

मामले मई 2003 में विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त-2005)।

छूट की अनियमित स्वीकृति

2.2.10 उ0प्र0 व्यापार कर अधि0 1948 की धारा 4-क पात्रता प्रमाण-पत्र धारक नई इकाईयों को कतिपय शर्तों के पूरा करने पर पात्रता प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट माल की बिक्री पर कर से छूट या कर में कमी प्रदान करती है। यदि व्यापारी पात्रता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट वस्तु से भिन्न वस्तु की बिक्री करता है अथवा शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह कर से छूट या कर में कमी का हकदार नहीं होगा। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कर से छूट या कर में कमी पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों के आधार पर ही पात्रता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट निर्मित माल की बिक्री हेतु इकाई को कर से छूट या कर में कमी स्वीकृत की जाती है।

कमिश्नर व्यापार कर ने 12 दिसम्बर 1978 व 29 नवम्बर 1985 को कर निर्धारण अधिकारियों के लिये निर्देश जारी किये कि कर निर्धारण का निस्तारण करते समय व्यापारी के कर से छूट के दावे की ध्यान पूर्वक जाँच करें।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-V कानपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यापारी को घी तथा मक्खन के निर्माण हेतु पा0प्र0पा0 16 मार्च 2000 को स्वीकृत किया गया। मार्च 2002 तथा मई 2004 में वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक के कर निर्धारणों का निस्तारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने घी तथा मक्खन के अतिरिक्त 10.63 करोड़ रुपये के स्किम्ड मिल्क पावडर की बिक्री पर भी 66 लाख रुपये की कर मुक्ति स्वीकार किया जो कि पात्रता प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं था। फलस्वरूप 66 लाख रुपये की अनियमित करमुक्ति प्रदान की गई।

- डिप्टी कमि0 (क0नि0)-V व्यापार कर गाजियाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यापारी को उनके द्वारा निर्मित शीतल पेय एवं अन्य तरल पदार्थों के भरने के लिए प्रयुक्त होने वाली पेट¹ बोतलों एवं पेट प्री फार्म² के निर्माण हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया। मार्च 2003 में वर्ष 2000-01 के कर निर्धारण का निस्तारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त पेट बोतलों तथा पेट प्री फार्म की बिक्री राशि 5.32 करोड़ रुपये पर करमुक्ति प्रदान की जबकि व्यापारी इसका हकदार नहीं था। फलस्वरूप 20.70 लाख रुपये की अनियमित करमुक्ति प्रदान की गई।

मामला जून-2004 में विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2005)।

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जहाँ कोई व्यापारी यह दावा करता है कि वह किसी माल के बावत इस अधिनियम के अधीन कर देने का जिम्मेदार इस आधार पर नहीं है कि एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे माल का संचालन उसके द्वारा यथास्थिति उसके कारोबार के किसी अन्य स्थान को या उसके अभिकर्ता या मालिक को ऐसे माल के अन्तरण के कारण, न कि विक्रय के

¹ पेट: पॉली इथिलीन टेरेथलेट।

² पेट प्री फार्म: पेट बोतलों के निर्माण की सामग्री है।

कारण हुआ था, वहाँ पर साबित करने का भार कि उस माल का संचालन इस भाँति हुआ था, व्यापारी पर होगा और इस प्रयोजन के लिए वह यथास्थिति, कारोबार के अन्य स्थान के प्रधान अधिकारी या उसके अभिकर्ता या मालिक द्वारा सम्यक रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित घोषणा फार्म 'एफ' में कर में छूट प्राप्त करने के लिये कर निर्धारण अधिकारी को दे सकता है।

अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि व्यापारी मिथ्या प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र निर्गत अथवा प्रस्तुत करता है, जिसके कारण अधिनियम के अन्तर्गत खरीद या बिक्री पर कर आरोपणीय नहीं होता है तो वह अर्थदण्ड के रूप में कर की धनराशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं, किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक, की धनराशि चुकाने का उत्तरदायी होगा।

डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-VII कानपुर की सम्प्रेक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यापारी ने फार्म 'एफ' के विरुद्ध वर्ष 1997-98 व 1998-99 में 11.71 करोड़ रुपये के वनस्पति व परिशोधित तेल का प्रेषण अपनी शाखा को किया तथा करमुक्ति की माँग की। फरवरी 1999 तथा जून 2000 में कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी को 47 लाख रुपये की करमुक्ति प्रदान की। सितम्बर 2001 में वि० अ०शा० द्वारा प्रति-सत्यापन (कास वेरिफिकेशन) किये जाने पर ये फार्म 'एफ' फर्जी पाये गये तथा जिन व्यापारियों को माल का प्रेषण किया गया था वे अस्तित्व में नहीं थे। विभाग ने मामलों के पुनः जाँच की कोई कार्यवाही नहीं की। फलस्वरूप 23.50 लाख रुपये न्यूनतम अर्थदण्ड न आरोपित किये जाने के अतिरिक्त 47 लाख रुपये की अनियमित करमुक्ति प्रदान की गई।

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत माल का अन्तर्प्रान्तीय विक्रय या क्रय एक राज्य से अन्य राज्य को माल के संचालन (मूवमेन्ट) के दौरान उस माल के हक दस्तावेजों (डाकुमेन्ट्स) के अन्तरण द्वारा फार्म 'ई-1' / 'सी' के विरुद्ध किये जाने पर कर के भुगतान से मुक्त है। यदि कोई क्रय आदेश माल के स्वामित्व स्थानान्तरण के पूर्व की तिथि का है तो छूट प्राप्त नहीं होगी।

असि. कमि. (क.नि.) V व्या.क. कानपुर की सम्प्रेक्षा के दौरान यह पाया गया कि एक व्यापारी ने वर्ष 2001-02 में 93 लाख रुपये सामग्री की बिक्री फार्म 'ई-1' / 'सी' के विरुद्ध दिखाई तथा 9 लाख रुपये की करमुक्ति प्राप्त की। इन फार्मों के पुनर्निरीक्षण में पाया गया कि माल की बिक्री क्रेता व्यापारियों के क्रय आदेशों को जारी करने से पूर्व ही की गयी थी। अतः व्यापारी को दी गयी 9 लाख रुपये की कर में छूट अनियमित थी।

- कमिश्नर व्यापार कर द्वारा 1978 में निर्देश जारी किया गया था कि बड़ी धनराशियों की खरीद को उन कर निर्धारण अधिकारियों से, जिनके परिक्षेत्र में विक्रेता व्यापारी मौजूद हैं, सत्यापन कराये जाने की आवश्यकता है।

पॉंच व्यापार कर कार्यालयों¹ में यह पाया गया कि 27 व्यापारियों के मामले में (प्रत्येक प्रकरण में 25 लाख रुपये से अधिक) बिक्री आवर्त 488.54 करोड़ रुपये पर वर्ष 2002-03 से 2003-04 हेतु कर से मुक्ति प्रदान की गयी क्योंकि माल की खरीद प्रान्तीय कर प्रदत्त थी। कर निर्धारण अधिकारियों ने क० व्या० क० के निर्देशों की अवहेलना करते हुये प्रान्तीय खरीद के सत्यापन हेतु उन कर निर्धारण अधिकारियों के पास सत्यापन मेमो प्रेषित नहीं किया जिनके अधिकार क्षेत्र में विक्रेता व्यापारी कारोबार में लिप्त थे।

यह इंगित करता है कि व्यापारियों द्वारा विक्रय सूची दाखिल करने के लिये और यह सुनिश्चित करने हेतु कि क्या दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, कोई आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र मौजूद नहीं है।

¹ अ.क.खण्ड II एवं अ०क०खण्ड V गाजियाबाद, अ.क.खण्ड I हापुड़, अ.क.खण्ड XIII कानपुर एवं अ.क.खण्ड IX लखनऊ।

बकाया की निगरानी

2.2.11 कर निर्धारण के पश्चात् व्यापारी को नोटिस प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर अवशेष निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किया जाता है। यदि व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में दिये गये समय में उसके द्वारा देय कर या कोई धनराशि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जमा करने में असफल रहता है तो वसूली प्रमाण पत्र, डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली अधिकारी) द्वारा भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल करने हेतु, जारी किया जाता है।

राजस्व बकाया और संग्रह का विश्लेषण

2.2.12 राजस्व का बकाया और इसकी वसूली न किये जाने योग्य बकाया सहित अपलिखित किये जाने हेतु 31 मार्च 1999 से 31 मार्च 2003 को समाप्त हो रहे वर्षों के लिये निम्नवत् हैं:

(करोड़ रुपये में)

31 मार्च के अनुसार	बकाया धनराशि	वर्ष के दौरान वसूली गई बकाया राशि		वसूल न होने योग्य/अपलेखित हेतु बकाया राशि	
		धनराशि	कॉलम 3 से 2 का प्रतिशत	धनराशि	कॉलम 5 से 2 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1999	10,809.33	190.51	1.76	314.97	2.91
2000	9,415.87	168.58	1.79	389.99	4.14
2001	7,896.88	167.28	2.11	441.29	5.59
2002	8,406.44	190.80	2.27	503.97	5.99
2003	9,121.12	239.73	2.62	633.46	6.94

प्रमाणीकरण प्रक्रिया का संस्थापन

2.2.13 कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड जिनका भुगतान नहीं हुआ है व्यापार कर में बकाया हैं और भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली योग्य हैं।

तीन परिक्षेत्रों में राजस्व बकाया एवं प्रमाणित बकाया की स्थिति 1998-99 से 2002-03 की अवधि में निम्नवत् है:

(करोड़ रुपये में)

परिक्षेत्र	जैसा कि	कुल बकाया	प्रमाणित मामले	सम्पूर्ण राजस्व में प्रमाणित मामलों का प्रतिशत
कानपुर	31.03.1999	435.57	97.34	22.35
	31.03.2000	537.23	133.64	24.87
	31.03.2001	622.18	149.45	24.02
	31.03.2002	674.85	176.64	26.17
	31.03.2003	554.88	190.52	34.34
आगरा	31.03.1999	846.75	391.64	46.25
	31.03.2000	735.68	561.61	76.64
	31.03.2001	729.39	600.96	82.39
	31.03.2002	624.94	361.63	57.87
	31.03.2003	370.36	191.71	51.76

परिक्षेत्र	जैसा कि	कुल बकाया	प्रमाणित मामले	(करोड़ रुपये में)
				सम्पूर्ण राजस्व में प्रमाणित मामलों का प्रतिशत
लखनऊ	31.03.1999	1,005.60	141.11	14.03
	31.03.2000	917.71	83.50	9.09
	31.03.2001	669.29	56.42	8.43
	31.03.2002	654.14	156.28	23.89
	31.03.2003	639.16	138.88	21.73

उपरोक्त परिक्षेत्रों के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि :

- किसी भी परिक्षेत्र द्वारा पाँच वर्ष से अधिक पुराना राजस्व बकाया का पूर्ण विवरण/ अभिलेख नहीं रखे गये,
- कानपुर और लखनऊ परिक्षेत्रों का आगरा परिक्षेत्र की तुलना में कुल बकाया राजस्व में प्रमाणित राजस्व का प्रतिशत उपरोक्त अवधि में बहुत कम है।

यद्यपि उच्चाधिकारियों द्वारा मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक रूप पत्रों से बकाया की स्थिति की समीक्षा की जाती है, फिर भी सम्पूर्ण बकाया कानपुर परिक्षेत्र में तेजी के साथ 435.57 करोड़ रुपये (1998-99)से 674.85 करोड़ रुपये (2001-02) तक बढ़ गया।

माननीय न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब

2.2.14 क0 व्या0 क0 ने जनवरी 2005 में सभी कर निर्धारण अधिकारियों को मई 2000 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णय¹ के आधार पर वस्तु के प्रयोग के अधिकार का अन्तरण (टी0 आर0 यू0 जी0) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुये विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त किये गये मीटर किराये के टर्नओवर पर कर आरोपित किये जाने के लिये एक परिपत्र जारी किया और फरवरी 1996 में निर्गत पूर्व के परिपत्र को वापस ले लिया जो कि ऐसे टर्नओवर पर तत्काल प्रभाव से कर आरोपित न किये जाने से सम्बन्धित था।

लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि कर निर्धारण अधिकारी मई 2000 से 2002-03 तक (कर निर्धारण के समय तक) 229.54 करोड़ रुपये मीटर किराये के टर्नओवर पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विलम्ब से वितरण किये जाने के कारण 11.48 करोड़ रुपये कर आरोपित नहीं कर सके। यह प्रमाणित है कि कमिश्नर के पटल पर न्यायिक निर्णय के सम्बन्ध में ध्यान देने के लिये कोई समुचित तन्त्र नहीं है।

उत्तर में यह सूचित किया गया कि भारत संचार निगम लिमिटेड के मामले में फरवरी 2003 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णय के विरुद्ध विभाग ने मीटर किराये पर करारोपण हेतु जनवरी 2004 में प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जो कि शासन द्वारा दिसम्बर 2004 में निर्णीत किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न्यायिक निर्णय के कार्यान्वयन में प्रभावशाली नियंत्रण के अभाव से परिहार्य विलम्ब व कर का अनारोपण हुआ।

निष्कर्ष

2.2.15 उ0 प्र0 व्या0 क0 अधिनियम तथा क0 बि0 क0 अधिनियम एवं उनके नियमों के अन्तर्गत बनाये गये प्रावधानों के अस्तित्व में होने के बावजूद विभाग ऐसे प्रावधानों/नियमों के कार्यान्वयन में प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण कार्यवाही करने में असफल रहा। व्यापारियों का पंजीयन न किया जाना, त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण, त्रुटिपूर्ण पात्रता

¹ मेसर्स ट्वेन्टीथ सेन्चुरी फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 बनाम् स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2000) 119 एस0टी0सी0 182 (एस0सी0 5 दिनांक 09.05.2000)

प्रमाण पत्र एवं मान्यता प्रमाण पत्र की स्वीकृति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने के फलस्वरूप विभाग को 72.21 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई।

संस्तुति

2.2.16 राजस्व के कर निर्धारण, करारोपण एवं संग्रहण को प्रभावी बनाने के लिए शासन को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिये :

- राजस्व बकाया के मामलों को पुराना होने तथा दोषियों को गायब होने की प्रेरणा से बचाने के लिये समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिये तथा
- अधिनियमों नियमों के विभिन्न प्रावधानों एवं शासन/विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के कार्यान्वयन में कमी एवं ह्रास की जाँच हेतु एक मजबूत आन्तरिक नियंत्रण तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

समीक्षा विभाग/शासन को भेजी गई है (जून-2005); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त-2005)।

2.3 कय कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 3 क क क क के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यापारी जो पंजीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से करयोग्य कोई सामग्री कय करता है तो वह ऐसी सामग्री की बिक्री पर उसी दर पर जिस पर कर देय है कय कर का देनदार होगा।

असिस्टेंट कमिश्नर, खण्ड-II, जौनपुर की लेखा परीक्षा के दौरान जुलाई 2003 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2000-01 के दौरान तीन व्यापारियों ने रू0 1.25 करोड़ राशि की 'अर्द्धनिर्मित कालीन' अपंजीकृत व्यापारियों से कय किया। कर निर्धारण अधिकारी ने अप्रैल 2002 से फरवरी 2003 के मध्य कर निर्धारण का निस्तारण करते समय कय कर आरोपित नहीं किया। परिणाम स्वरूप रू0 15.59 लाख कय कर का अनारोपण हुआ।

सम्प्रेक्षा में इसे इंगित किये जाने के पश्चात्, विभाग ने मार्च 2004 में सूचित किया कि रू0 15.59 लाख कर की मांग जनवरी 2004 में की गई थी। मामले में उत्तरोत्तर प्रगति की प्रतीक्षा रही (अगस्त 2005)।

प्रकरण दिसम्बर 2003 में शासन के संज्ञान में लाया गया ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2005)।

2.4 टर्नओवर छिपाये जाने से कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत, टर्नओवर परिभाषित किया गया है कि वह कुल धनराशि जिसके लिये सामग्री बिक्री के रूप में, अथवा व्यापारी द्वारा बिक्री की गई, या नकद हेतु या स्थगित भुगतान अथवा अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखित अन्य मूल्यवान प्रतिफल के रूप में प्रेषित अथवा वितरित की जाती है। पुनः, यह कर निर्धारण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि व्यापारी का कुल टर्नओवर उसके द्वारा व्यवस्थित रूप से रखे गये रिकार्ड्स के अनुसार तथ्य के परिपेक्ष्य में करयोग्य है अथवा नहीं।

पाँच व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान, अगस्त 2002 से सितम्बर 2004 के मध्य यह तथ्य प्रकाश में आया कि आठ व्यापारियों का वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के लिये कर निर्धारण का निस्तारण नवम्बर 2001 व मार्च 2004 के मध्य करते समय 4.15 करोड़ रुपये धनराशि का करयोग्य टर्नओवर कर निर्धारण से बचा

2001-02 के लिये कर निर्धारण का निस्तारण नवम्बर 2001 व मार्च 2004 के मध्य करते समय 4.15 करोड़ रुपये धनराशि का करयोग्य टर्नओवर कर निर्धारण से बचा लिया गया। परिणाम स्वरूप 46.25 लाख रुपये कर निम्नवत् आरोपित किये जाने से रह गया :

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	कार्यालय का नाम (व्यापारियों की संख्या)	करनिर्धारण वर्ष कर निर्धारण माह	बचाया गया टर्नओवर	सामग्री	कर की दर (प्रतिशतमें)	अनारोपित कर की राशि	टिप्पणी
1.	डि.कमि. (क.नि.) XI, व्या०क०, आगरा, (2)	2000-01 फरवरी-03 2001-02 मार्च-04	22.10	इण्डियन मेड फारेन लिकर	32.5	7.19	टर्नओवर में लाइसेन्स फीस सम्मिलित नहीं था।
2.	डि.कमि. (क.नि.)II, व्या०क०, हापुड़ (3)	1999-2000 मार्च-2002	45.91	-उक्त-	-उक्त-	14.92	-उक्त-
		2000-01 जनवरी-03	119.37	पेपर कोन और पेपर स्कैप	10	11.94	बैलेन्स शीट में प्रदर्शित टर्नओवर निर्धारित टर्नओवर से भिन्न था।
		2000-01 फरवरी, 2003	11.90	टिम्बर	20	2.38	चिराई व्यय सम्मिलित नहीं था।
3.	डि.कमि. (क.नि.)I, व्या०क०, सहारनपुर (1)	2000-01 दिसम्बर-02	54.08	ट्रेक्टर व फारमर्स किट	5	2.70	बीमा शुल्क सम्मिलित नहीं था।
4.	डि.कमि. (क.नि.)-I, व्या०क०, झाँसी, (1)	1999-2000 नवम्बर-01	96.57	अनाज	4	3.86	निर्धारित टर्नओवर खातों में प्रदर्शित टर्नओवर से कम था।
5.	डि.कमि. (क.नि.)VI, व्या०क०, गाजियाबाद (1)	1997-98 नवम्बर-01 1998-99 मार्च-2001	65.20	जला हुआ ट्रॉन्सफारमर का तेल	5	3.26	बैलेन्स शीट में प्रदर्शित टर्नओवर निर्धारित टर्नओवर से भिन्न था।
योग			415.13			46.25	

प्रकरण जुलाई 2003 तथा जुलाई 2004 में विभाग तथा शासन के संज्ञान में लाया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2005)।

2.5 ब्याज का अनारोपण

• उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यापारी का उत्तरदायित्व है कि वह निर्धारित समयान्तरों पर अपने टर्नओवर के विवरण पत्रों को दाखिल करे व विवरण पत्रों में प्रदर्शित टर्नओवर के अनुसार देय कर की राशि जमा करे। व्यापारी द्वारा देय स्वीकृत कर, यदि देय तिथि तक जमा नहीं किया गया तो जमा की तिथि तक दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा।

10¹ असिस्टेण्ट कमिश्नर (क०नि०)/डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) के अभिलेखों की नमूना जाँच में स्पष्ट हुआ कि 12 व्यापारियों का वर्ष 1987-88 से 2002-03 के लिये कर निर्धारण का निस्तारण मार्च 2001 से नवम्बर 2003 के मध्य किया गया। कर निर्धारण अभिलेखों के पुनरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि व्यापारियों ने ₹ 4.72 करोड़ स्वीकृत कर 11 माह व 24 दिन से लेकर 191 माह व 25 दिन तक विलम्ब से जमा

¹ डि०क० (क०नि०)-III, व्या०क०, कानपुर; डि०क० (क०नि०), व्या०क० कर्ची; डि०क० (क०नि०), व्या०क०, सोनमद्र; डि०क० (क०नि०), व्या०क०, मुगलसराय; असि०कमि०, खण्ड-VI, व VII, व्या०क०, इलाहाबाद; असि०कमि०, खण्ड-II, व्या०क०, कानपुर; असि०कमि०, खण्ड-IX, व्या०क०, लखनऊ; असि०कमि०, खण्ड-II, व्या०क०, बरेली; असि०कमि०, व्या०क०, पुखरायों।

किया जिस पर रू0 5.71 करोड़ ब्याज आरोपणीय था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2003 व जुलाई 2004 के मध्य तीन मामलों में रू0 10.91 लाख ब्याज आरोपित कर दिया जिसमें से रू0 0.54 लाख की वसूली कर ली गई है। आगे जवाब की प्रतीक्षा रही (अगस्त 2005)।

मामले जून 2002 तथा सितम्बर 2004 के मध्य विभाग तथा शासन के संज्ञान में लाये गये; सभी मामलों में शासन का जवाब तथा शेष मामलों में विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा रही (अगस्त 2005)।

• उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण निविदा के परिपेक्ष में वस्तु के रूप में किसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिये देय मूल्यवान प्रतिफल की किसी देयता को समाप्त करने हेतु किसी व्यापारी को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ऐसी धनराशि के चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती की जानी चाहिये तथा अगले माह की समाप्ति से पूर्व ऐसी काटी गई धनराशि सरकारी कोष में जमा की जानी चाहिये। यदि ऐसा व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर ऐसी काटी गई धनराशि खजाने में जमा करने में असफल रहता है तो वह जमा न की गई धनराशि पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज जमा करने का उत्तरदायी होगा।

भदोही एवं लखनऊ के व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान जुलाई 2004 तथा सितम्बर 2004 के मध्य यह तथ्य प्रकाश में आया कि दो व्यापारियों के मामलों में वर्ष 1999-2000 व 2000-01 के दौरान अधिशाषी अभियन्ताओं ने रू0 30.56 लाख कर की श्रोत पर कटौती की और इसे जमा करने की देय तिथि के पश्चात् खजाने में जमा किया। विलम्ब की अवधि 18 दिनों से 36 माह तक की रही। इस प्रकार रू0 8.53 लाख धनराशि का ब्याज आरोपणीय था परन्तु आरोपित नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग तथा शासन के संज्ञान में लाया गया (सितम्बर 2004 से दिसम्बर 2004); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2005)।

2.6 केन्द्रीय बिक्री कर का कम करारोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत फार्म 'सी' से अनाच्छादित माल की प्रान्त बाहर बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर या ऐसे माल की प्रान्त के भीतर खरीद अथवा बिक्री पर निर्धारित दर, जो भी अधिक हो, से कर आरोपणीय है। चार प्रतिशत से कम दर वाली वस्तुओं की बिक्री की दशा में कर ऐसी कम दर से निर्धारित किया जायेगा जैसा कि प्रकरण हो।

दो व्यापार कर कार्यालयों¹ की अक्टूबर 2003 और जुलाई 2004 में लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2000-01 व 2001-02 के दौरान दो व्यापारियों का कर निर्धारण फरवरी 2003 व दिसम्बर 2003 के मध्य किया गया जिन्होंने फार्म 'सी' के बगैर रू0 2.80 करोड़ के आलू चिप्स व चेसिस पर चढ़ाई गई बस की बॉडी की प्रान्त बाहर बिक्री की जिस पर 12 प्रतिशत के बजाय चार व 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। परिणामस्वरूप रू0 9.55 लाख धनराशि का कम करारोपण हुआ।

प्रकरण विभाग तथा शासन के संज्ञान में लाया गया (नवम्बर 2004 से जून 2005 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2005)।

2.7 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी मिथ्या घोषणा प्रस्तुत करते हुये कि ऐसी वस्तु उसके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित है, फार्म 'सी' प्रस्तुत करने के आधार पर प्रान्त बाहर से कोई वस्तु कर के रियायती दर पर कय

¹ डि0कमि0(क0नि0)-IV, व्या0क0, नोएडा; डि0कमि0 (क0नि0)-II, व्या0क0, मेरठ।

करता है या इस प्रकार से क़य की गई वस्तु का प्रयोग पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लिखित प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जाता है तो वह अभियोग लगाये जाने का उत्तरदायी है। अभियोजन की कार्यवाही में, यदि कर निर्धारण अधिकारी उचित समझता है, तो वह ऐसी वस्तु की बिक्री पर देय कर का डेढ़ गुना तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

27 व्यापार कर कार्यालयों¹ के कर निर्धारण अभिलेखों की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 29 व्यापारियों का वर्ष 1998-99 से 2002-03 के लिये कर निर्धारण जनवरी 2001 से मार्च 2004 के मध्य किया गया जिन्होंने रू0 23.24 करोड़ की सामग्री फार्म 'सी' के विरुद्ध क़य किया जो कि या तो उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं थी या उनका प्रयोग पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लिखित प्रयोजन से भिन्न रूप में किया गया था। इस प्रकार ये व्यापारी रू0 3.99 करोड़ अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी थे।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया कि जनवरी 2002 से जुलाई 2004 के मध्य छः मामलों में रू0 18 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया था। वसूली से सम्बन्धित सूचना तथा अन्य मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (अप्रैल 2005)।

प्रकरण विभाग तथा शासन के संज्ञान में लाया गया (सितम्बर 2001 से अक्टूबर 2004 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2005)।

2.8 समाधान धनराशि का अनारोपण

वर्ष 1998-99 के लिये समाधान योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत वनस्पति घी निर्माताओं हेतु समाधान राशि की गणना रू0 600 प्रति मैट्रिक टन की स्थापित क्षमता की दर से की जानी थी। यदि निर्माता स्थापित क्षमता में वृद्धि करता है तो वह 30 दिनों के भीतर विभाग को सूचित कर समाधान राशि उसी के अनुसार संशोधित करेगा जो कि व्यापारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जमा किया जाना चाहिये असफलता की दशा में उसे विलम्ब की अवधि के लिये दो प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज जमा करना होगा।

व्यापार कर संभाग कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान सितम्बर 2004 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वनस्पति घी के एक निर्माता ने वर्ष 1998-99 व 1999-2000 के लिये समाधान योजना का चयन किया। वनस्पति घी के उत्पादन की स्थापित क्षमता वर्ष 1998-99 के लिये 15,000 मैट्रिक टन थी जो कि वर्ष 1999-2000 में बढ़ाकर 24,000 मैट्रिक टन कर दी गई। कर निर्धारण पत्रावली के पुर्नरीक्षण पर यह स्पष्ट हुआ कि व्यापारी ने वास्तव में वर्ष 1998-99 के दौरान 21,850.79 मैट्रिक टन तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान 33,492.66 मैट्रिक टन वनस्पति घी का उत्पादन किया। उसने समाधान योजना के तहत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की सूचना कर निर्धारण अधिकारियों को नहीं दी। यद्यपि विभाग कर निर्धारण में प्रदर्शित बढ़ाई गई क्षमता की सत्यता के बारे में पूरी तरह से सावधान था फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2001 तथा दिसम्बर 2001 में कर निर्धारण करते समय बढ़ाये गये उत्पादन पर समाधान राशि आरोपित नहीं किया। परिणाम स्वरूप अतिरिक्त उत्पादन पर रू0 98.06 लाख समाधान

¹ असि0कमि0, खण्ड-4, व्या0क0, आगरा; असि0कमि0, व्या0क0, अमरोहा; डि0कमि0(क0नि0), व्या0क0, गोण्डा; डि0कमि0(क0नि0)-18, व्या0क0, कानपुर; डि0कमि0 (क0नि0)-5, व्या0क0, मेरठ; डि0कमि0 (क0नि0), व्या0क0, मैनपुरी; डि0क0(क0नि0)-2, व्या0क0, नोएडा; डि0क0 कमि0(क0नि0), व्या0क0, पीलीभीत; डि0कमि0(क0नि0)-4, व्या0क0, सहारनपुर; डि0क0(क0नि0)-1, व्या0क0, गाजियाबाद; डि0क0(क0नि0)-2, व्या0क0, मेरठ; व्या0क0, मुगलसराय; डि0क0(क0नि0)-1, व्या0क0, झॉंसी; डि0क0(क0नि0)-1, व्या0क0, उरई; डि0क0(क0नि0), व्या0क0, आजमगढ़; असि0कमि0, खण्ड-1, व्या0क0, गोरखपुर; असि0कमि0, खण्ड-6, व्या0क0, मुरादाबाद; डि0क0(क0नि0)-4, व्या0क0, लखनऊ, व्या0क0, खण्ड-6, वाराणसी; असि0कमि0, व्या0क0, मवाना; असि0कमि0, खण्ड-6, व्या0क0, गाजियाबाद; असि0कमि0, खण्ड-2, व्या0क0, खुर्जा; डि0क0(क0नि0)-9, व्या0क0, नोएडा; डि0क0(क0नि0)-5, व्या0क0, नोएडा; असि0कमि0, खण्ड-10, व्या0क0, आगरा; डि0क0(क0नि0)-4, व्या0क0, नोएडा; डि0क0(क0नि0)-7, व्या0क0, कानपुर।

राशि आरोपित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त रू0 1.26 करोड़ राशि का ब्याज भी आरोपणीय था।

प्रकरण जून 2005 में विभाग तथा शासन के संज्ञान में लाया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2005)।

2.9 अविभाज्य विद्युत ठेकेदारों को समाधान योजना का अनियमित लाभ

अविभाज्य विद्युत ठेकेदारों हेतु समाधान योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई कि योजना का लाभ केवल उन ठेकेदारों को दिया जायेगा जो कि अविभाज्य हैं, जैसा कि सिविल संविदा के लिये, जिसमें वस्तु की आपूर्ति हेतु धनराशि और उनका कार्य अलग-अलग वर्गीकृत नहीं हैं बल्कि अविभाज्य हैं। यह न्यायिक¹ निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि यदि वस्तु की आपूर्ति के लिये धनराशि व उनके कार्य अलग-अलग वर्गीकृत हैं तो अनुबन्ध अविभाज्य नहीं होगा तथा यह पूर्ण रूप से सिविल संविदा के निष्पादन में सन्निहित वस्तु की बिक्री होगी।

व्यापार कर संभाग गोरखपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में फरवरी 2004 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2000-01 के दौरान एक व्यापारी के दो अनुबन्धों के मामले में रू0 86.92 लाख की विद्युत सामग्रियों की आपूर्ति का भुगतान तथा इन सामग्रियों के स्थापना हेतु रू0 19.50 लाख का भुगतान प्राप्त किया गया जिस पर विभाग ने फरवरी 2003 में रू0 2.13 लाख समाधान राशि आरोपित किया।

समाधान योजना के प्रावधानों तथा न्यायिक निर्णय के परिपेक्ष्य में कार्य अविभाज्य नहीं था एवं व्यापारी समाधान योजना के अन्तर्गत कर निर्धारित किये जाने के बजाय रू0 86.92 लाख की सामग्री की बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से रू0 8.69 लाख कर भुगतान करने का उत्तरदायी था। परिणामस्वरूप रू0 6.56 लाख कम कर आरोपित किया गया।

प्रकरण जून 2005 में विभाग तथा शासन के संज्ञान में लाया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2005)।

¹ मेसर्स गैनन डन्कन एण्ड कम्पनी बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान (1993) 88-एस0टी0सी0 204 (एस0सी0)।

अध्याय-3 राज्य आबकारी विभाग

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-2005 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 48.59 करोड़ रुपये की धनराशि के शुल्क/फीस के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 146 मामले पाये गये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	ब्याज का अनारोपण	08	1.76
2.	अनुज्ञापन शुल्क का न वसूल किया जाना	31	4.86
3.	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	23	6.88
4.	न्यूनतम प्रत्याभूति की मात्रा का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	12	11.84
5.	अतिशयमार्गस्थ/भण्डारण छीजन	02	0.11
6.	देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान न करने से आबकारी अभिकर की क्षति	09	1.51
7.	अन्य अनियमितताएँ	61	21.63
	योग	146	48.59

वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग द्वारा दो मामलों में कम निर्धारण आदि से सम्बन्धित 42.64 लाख रुपये धनराशि स्वीकार की गयी।

उदाहरणार्थ कुछ मामले, जिनमें 50.13 लाख रुपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तारों में दिये गये हैं।

3.2 आबकारी अभिकर के अन्तर दर की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 तथा अधिसूचना दिनांक 14.3.2002 के अन्तर्गत यह प्रावधानित किया था कि लाइसेंसि द्वारा वर्ष में उठायी गयी देशी शराब की सम्पूर्ण मात्रा की बिक्री उसे उसके लाइसेंस की वैधता अवधि में ही करनी होगी और लाइसेंस की समाप्ति के बाद लाइसेंसि को उसे बेचने की अनुमति न होगी। लाइसेंस के पुनर्नवीनीकरण की दशा में लाइसेंसि द्वारा बचे हुए स्टॉक को रोक लिया जाएगा तथा यदि कोई आबकारी अभिकर का अन्तर हो तो उसे अदा करना होगा। वर्ष 2003-04 के लिए देशी मदिरा की दर 79 रुपये प्रति बल्क लीटर (ब०ली०) निश्चित की गयी थी। इसके पूर्व में यह दर 69 रुपये प्रति ब० ली० थी।

जिला आबकारी अधिकारी (जि०आ०अ०), ज्योतिबा फूले नगर के अभिलेखों की नमूना जाँच मई 2003 में पाया गया कि वर्ष 2002-03 के लिए 1,65,255.55 ब०ली० देशी मदिरा का अवशेष स्टॉक जिसे कि लाइसेंस धारकों से अपेक्षित था कि उनके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद इसे थोक विक्रेताओं को वापस कर देगें परन्तु वे ऐसा नहीं किए। इस तरह वे वर्ष 2003-04 के लिए 10 रुपये प्रति ब०ली० की दर से आबकारी अभिकर के अन्तर दर को अदा करने के लिए जिम्मेदार थे। इसके

परिणामस्वरूप 16.53 लाख रुपये की धनराशि आबकारी अभिकर के रूप में नहीं वसूली गयी।

प्रकरण विभाग व शासन को मई 2003 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 2005)।

3.3 आबकारी राजस्व के मद में विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहाँ कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है वहाँ जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूली योग्य हो जाता है।

जिला आबकारी अधिकारी, अलीगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच अप्रैल 2003 से नवम्बर 2004 तक के लिए नवम्बर 2004 में पाया गया कि एक लाइसेंस धारक द्वारा वर्ष 1990-91 से सम्बन्धित 14.91 लाख रुपये आबकारी राजस्व की धनराशि 150 माह विलम्ब से अक्टूबर 2003 में जमा की गई जबकि विलम्बित भुगतान पर ब्याज की धनराशि 33.60 लाख रुपये विभाग द्वारा आरोपित नहीं की गयी।

सम्प्रेक्षा में इसे जनवरी 2005 में इंगित किए जाने पर विभाग ने 33.60 लाख रुपये की मॉग उठायी। वसूली की स्थिति अभी तक प्रतीक्षित है (अगस्त 2005)।

प्रकरण शासन को मार्च 2005 में सन्दर्भित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2005)।

अध्याय – 4 माल एवं यात्री वाहनों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा में वर्ष 2004-05 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 190 मामलों में 61.57 करोड़ रुपये की धनराशि के करों का न लगाया जाना या करों का कम आरोपण, मार्ग कर/माल कर का कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आए, जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

(करोड़ रुपये में)

क्र०सं०	श्रेणी	मामलों की सं०	धनराशि
1.	यात्री कर/अतिरिक्त कर का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	86	17.51
2.	मार्ग कर का अवनियमितता	15	1.38
3.	माल कर का अवनियमितता	07	0.15
	“परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा पर समीक्षा”	01	33.71
4.	अन्य अनियमितताएं	81	8.82
	योग:-	190	61.57

वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग ने कम निर्धारण आदि के 115 मामलों में निहित 25.15 करोड़ रुपये स्वीकार किये जिनमें से 114 मामलों में 61.38 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं।

उदाहरणार्थ कुछ मामले एवं “परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा” पर एक समीक्षा जिनमें 37.13 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव शामिल है, अनुवर्ती प्रस्तारों में दिये गये हैं:-

4.2 परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा पर समीक्षा

मुख्य अंश :-

- अपर्याप्त कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप 533.93 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली न किया जाना।
(प्रस्तर 4.2.6)
- बिना परमिट संचालित वाहनों की चेंकिंग न करने से 24.34 करोड़ रुपये की क्षति।
(प्रस्तर 4.2.7)
- अपराधों पर 8.97 करोड़ रुपये का कम प्रशमन।
(प्रस्तर 4.2.8)
- बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित वाहनों को चेक न किए जाने से 34.15 लाख रुपये की क्षति।
(प्रस्तर 4.2.9)

प्रस्तावना

4.2.1 प्रवर्तन शाखा की कार्य प्रणाली का नियमन मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो०या०अ०), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 (उ०प्र०मो०या०क०अ०), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली 1998 (उ० प्र० मो० या० क० नि०), केन्द्रीय

मोटर यान नियमावली 1989 (के0 मो0 या0 नि0) एवं उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 (उ0 प्र0 मो0 यान0 नि0) के अधीन किया जाता है।

राज्य के परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा के नियामक कार्यों में मो0या0 अधि0 एवं नि0 के अन्तर्गत विभिन्न प्राविधानों का पालन करना अपराधों की जाँच जैसे अपंजीकृत वाहनों का मार्ग संचालन, बिना बैध परमिट/चालक अनुज्ञप्ति/वाहन का स्वस्थता प्रमाणपत्र आदि या अधिनियमों या नियमों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए संचालन सम्मिलित है। यह ऐसे वाहनों की भी जाँच करता है जो कि प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते, ऐसे वाहन जो बिना कर भुगतान के संचालित हैं अथवा ऐसे वाहनों का उपयोग जिन्हें अधिनियम के अनुसार उच्च दर से कर का भुगतान आवश्यक है और ऐसे वाहनो का उस समय सत्यापन जिनके मार्ग पर संचालन के अनुपयोग की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त मो0 या0 अधि0 के अधीन दण्डनीय अपराधों के प्रशमन का कार्य भी सौंपा गया है ताकि मामलों का निस्तारण शीघ्रता से किया जा सके।

संगठनात्मक ढांचा

4.2.2 वाहन यातायात पर अधिनियम, नियम एवं विनियमों को प्रवर्तित करने तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने का समस्त उत्तर दायित्व परिवहन आयुक्त, उ0 प्र0 लखनऊ में निहित है। मुख्यालय पर उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) तथा परिक्षेत्रीय स्तर पर 6 उप-परिवहन आयुक्तों आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, तथा वाराणसी एवं 70 संभागीय परिवहन अधिकारियों (सं0 प0 अ0) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों (स0 सं0 प0 अ0) के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में मुख्यालय तथा संभागीय एवं उप संभागीय कार्यालयों से सम्बद्ध राज्य में 77 प्रवर्तन दल हैं।

प्रत्येक प्रवर्तन दल के अन्तर्गत एक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही आते हैं। कर संग्रह केन्द्रों पर कार्यों के अलावा प्रवर्तन दल अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मार्गों के किसी भी स्थान पर वाहनों की जाँच करता है। कभी-कभी अन्तर सम्भागीय जाँच भी इनके द्वारा की जाती है।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

4.2.3 विनियामक तथा नियंत्रक कार्यकलापों के साथ-साथ प्रवर्तन शाखा द्वारा अपराधों के प्रशमन के सम्बन्ध में जिन विद्यमान अधिनियमों, नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है, उनकी प्रभावशीलता के अध्ययन हेतु एक समीक्षा परिवहन आयुक्त उ0 प्र0 द्वारा रखे गये अभिलेखों तथा 70 संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में से 24 कार्यालयों के प्रवर्तन शाखा के अवधि 1999-2000 से 2003-04 तक के अभिलेखों की नमूना जाँच माह जून 2004 व अप्रैल 2005 के बीच की गई।

समीक्षा को अंतिम रूप देने के पूर्व परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा के कार्यों की समीक्षा के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा निष्कर्षों में शासन/विभाग के विचारों को सम्मिलित करने हेतु राज्य राजस्व प्राप्ति हेतु "सम्प्रेक्षा समीक्षा समिति" (स0 स0 स0) की बैठक में उपस्थित होने के लिए विशेष अनुरोध के साथ जून 2005 में प्रतिवेदित किया गया। शासन/विभाग के साथ स0 स0 स0 (राज्य राजस्व प्राप्ति) की बैठक 2 अगस्त 2005 को की गई। विभाग व राज्य सरकार के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हुए। समीक्षा को अंतिम रूप देते समय समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी ध्यान में रखा गया।

सम्प्रेक्षा का उद्देश्य

4.2.4 समीक्षा अभिनिश्चित करती है :

- मोटर यान अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को प्रवर्तन दल द्वारा अनुपालन न करने तथा नियमों व विनियमों में त्रुटि/कमी से राजस्व का क्षरण और
- वाहन जनित प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण।

वित्तीय उपलब्धि

4.2.5 प्रवर्तन शाखा द्वारा लक्ष्य की कम प्राप्ति :

उ० प्र० मो० वा० क० अधि० के अनुसार जहाँ अधिकारी को विश्वास के पर्याप्त कारण हैं कि कोई यातायात वाहन बिना कर, अति० कर या दण्ड अदा किए किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो उसे वे बन्द करें और निरुद्ध करें और बकाये की वसूली करें। इस कार्य हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा प्रति वर्ष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो कि अपराध करने वाले वाहनों के चालान व प्रशमन शुल्क वसूल करके प्रवर्तन शाखा द्वारा पूरे किए जाएंगे। बिगत पाँच वर्षों के लक्ष्य एवं प्राप्ति का विवरण निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	करो की वसूली		शास्ति शुल्क		योग		वसूली का प्रतिशत
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1999-2000	26.19	20.38	96.36	22.18	122.55	42.56	35
2000-2001	39.59	25.33	89.79	27.54	129.38	52.87	41
2001-2002	47.21	25.46	29.28	23.52	76.49	48.98	64
2002-2003	33.84	25.80	29.16	20.76	63.00	46.56	74
2003-2004	30.90	29.77	24.18	25.09	55.08	54.86	100

लक्ष्य एवं प्राप्ति की तुलना से स्पष्ट है कि वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के दौरान वर्ष 2003-04 को छोड़ कर अन्य वर्षों में करों एवं प्रशमन शुल्क की वसूली में 35 से 74% तक की भिन्नता पाई गई। मार्च 2001 में विशेष टोकन योजना लागू होने के कारण वर्ष 2001-02 व उसके बाद लक्ष्यों को कमतर निर्धारित किया गया। प्रवर्तन शाखा द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति न होने का कारण आधारभूत संरचना का स्थिर होना तथा बढ़ रहे वाहनों की जाँच की जिम्मेदारी का बढ़ना रहा है।

4.2.6 प्रवर्तन शाखा द्वारा बकायों की वसूली न किया जाना

उ० प्र० मो० वा० क० अ० के अनुसार कोई भी वाहन जिसका कर बकाया है, मार्ग पर संचालित नहीं करने दिया जाएगा। यदि ऐसा वाहन किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो स० सं० प० अ० (प्रवर्तन) उसे जब्त, निरुद्ध कर सकता है तथा बकाया करों की वसूली लागत सहित परिवहन आयुक्त के अनुमोदन से वाहन की सार्वजनिक नीलामी करके कर सकता है। अग्रेतर अप्रैल 2001 में प० आ० उ० प्र० द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रत्येक प्रवर्तन दल अपने सम्भाग में दिनांक 1 अप्रैल 2001 को बकाया कर का 1/10 भाग प्रति माह तथा प्रत्येक चालू माह का बकाया अगले माह में वसूल करेंगे। प्रवर्तन दल से अपेक्षा है कि बकाये की वसूली से सम्बन्धित प्रगति परिवहन आयुक्त को प्रत्येक माह प्रस्तुत करें।

निजी क्षेत्र

- परिवहन आयुक्त के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि अप्रैल 2001 को (उ० प्र० रा०स०प०नि० के अलावा) निजी क्षेत्र के यात्री वाहनों पर प्रारम्भिक अवशेष 13.13 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2004 को 22.91 करोड़ रुपये कर के रूप में बकाया निम्नवत् रहा :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आरोपित	प्रतिशत बकाया	वर्ष के दौरान सम्मिलित	अंतिम अवशेष
2001-02	13.13	7.39	56.05	10.37	16.11
2002-03	16.11	11.52	71.51	12.53	17.12
2003-04	17.12	10.26	59.93	16.05	22.91

यह देखा गया कि परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार वर्ष 2001-02 के दौरान बकाया नहीं रहना चाहिए किन्तु वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान प्रवर्तन दल मात्र 56 से 72% तक ही बकाए की वसूली कर सका। चालू वर्ष के बकाए की वसूली करने में भी विभाग असफल रहा।

इसे इंगित करने के वाद विभाग ने अगस्त 2005 में बताया कि 12.83 करोड़ रुपये वसूला गया और शेष धनराशि की वसूली के लिए प्रवर्तन दल को निर्देशित किया गया।

उ० प्र० रा० सं० प० नि०

उ० प्र० रा० सं० प० नि० से सम्बन्धित बकाया वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक निम्नवत रहा :

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वृद्धि	योग	वसूला गया बकाया	अवशेष (करोड़ रुपये में)
2001-02	275.25	129.19	404.44	29.19	375.25
2002-03	375.25	142.97	518.22	50.01	468.21
2003-04	468.21	153.26	621.47	43.36	511.03

¹(रु० 67.09 करोड़ उत्तरांचल राज्य से सम्बन्धित हैं)

वर्ष 2001-02 के दौरान बकाया कर की धनराशि 275.25 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 511.03 करोड़ रुपये हो गयी जो वर्ष 2001-02 की तुलना में 185.60 प्रतिशत अधिक रही।

इसे इंगित किये जाने पर अगस्त 2005 में विभाग ने उत्तर दिया कि शासन स्तर पर महाप्रबन्धक उ० प्र० रा० सं० प० नि० को समय समय पर अनुस्मारक दिया गया तथा सम्बन्धित सं० प० अधिकारियों द्वारा मांग पत्र जारी किया गया है।

लेखा परीक्षा उपलब्धियाँ

मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

बिना परमिट के संचालित वाहनों पर कर का अनारोपण

4.2.7 मो० वा० अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी वाहन स्वामी बिना समुचित परमिट प्राप्त किए किसी भी वाहन का संचालन सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा। 6 अक्टूबर 2001 से प्रभावी उ० प्र० मो० वा० क० अधि० की धारा के अन्तर्गत कोई मोटर वाहन ड्राइवर के अतिरिक्त 9 व्यक्तियों से अधिक को ढोने के लिए पंजीकृत अथवा अधिगृहीत नहीं होगा। यदि कोई वाहन बिना परमिट के संचालित पाया जाता है तो स्वामी को देय कर एवं देय अतिरिक्त कर के साथ, 25 प्रतिशत अधिक शास्ति की धनराशि का भुगतान करना होगा। सं० प० अ०/सं० प० अ० बिना परमिट के संचालित वाहनों की सूची सम्बन्धित प्रवर्तन दल को उपलब्ध करायेंगे।

लेखा परीक्षा में यह संज्ञान में आया कि 11¹ संभागों और 4² उप-संभागों में राज्य में पंजीकृत 845 यातायात वाहन अक्टूबर 2001 से मार्च 2004 के दौरान बिना परमिट प्राप्त किए संचालित थे। यद्यपि उन्होंने कर अदा किया किन्तु अपेक्षित अतिरिक्त कर उनके द्वारा जमा नहीं किया गया। प्रवर्तन शाखा को इस प्रकार के वाहनों की एक

¹ आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद और वाराणसी।

² बुलन्दशहर, इटावा, फिरोजाबाद और रायबरेली।

सूची सं०प०अ०/स०सं०प०आ० द्वारा उपलब्ध कराई गयी किन्तु एक भी वाहन का चालान नहीं किया गया न ही अतिरिक्त कर का आरोपण किया गया। इस प्रकार शासन को परिशिष्ट -III के अनुसार राजस्व के रूप में 24.34 करोड़ रुपये से वंचित रहना पड़ा।

इसको संज्ञान में लाये जाने के बाद अगस्त 2005 में विभाग ने बताया कि 21.10 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है तथा शेष धनराशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।

अपराधों का कम प्रशमन

4.2.8 मो० वा० अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर वाहन संचालन के समय सदैव वाहन में वैध "प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र" (प्र०नि०प्र०प०) रखेगा और जॉच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा। जो भी वाहन सड़क सुरक्षा, ध्वनि व वायु प्रदूषण के मानकों का पालन नहीं करेगा उसे प्रथम अपराध के लिए मार्च 2000 तक रू० 500 तथा उसके बाद रू० 1000 का दण्ड भरना पड़ेगा। साथ ही केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार कोई भी मोटर वाहन तीखी चौकाने वाली अथवा कर्ण भेदी ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्न नहीं लगायेगा।

• वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के बीच 12³ सं०प०अ० और 2⁴ स० सं० प० अधिकारियों तथा प० आ० कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि 74,544 वाहन जो कि प्र०नि० प्रमाणपत्र के बिना संचालित थे जिनका चालान किया गया और रू० 1000 प्रति वाहन की दर के बजाय रू० 50 की दर से ही प्रवर्तन शाखा द्वारा प्रशमित किया गया। इसके फलस्वरूप परिशिष्ट-IV के अनुसार 7.06 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई।

संप्रेक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने अगस्त 2005 में बताया कि वाहन स्वामियों द्वारा चालान के बाद अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया अतः प्रशमन की दर रू० 50 प्रति वाहन आरोपित किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वाहन प्र० नि० प्र० प० चालान करते समय नहीं लिए हुए थे तथा अधिनियम में कहीं भी बाद में प्र० नि० प्र० प० प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अपराध को 1000 रुपये की दर से प्रशमित किया जाना अपेक्षित था।

• वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के दौरान 8⁵ सं० प० अधिकारियों और 3⁶ स० सं० प० अधिकारियों ने 16,363 वाहनों का चालान किया जिनमें प्रेशर हार्न लगा था और उन्हें रू० 1000 के बजाय रू० 50 की दर से प्रवर्तन शाखा द्वारा इस आधार पर कि प्रेशर हार्न लगा है परन्तु उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, प्रशमित किया गया। परिशिष्ट -IV के अनुसार इस प्रकार 1.55 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई।

प्रवर्तन शाखा की कार्यवाही गलत थी क्योंकि अधिनियम में स्पष्ट वर्णित है कि वाहन में मल्टीटोन हार्न नहीं लगेगा। यह उपयोग या अनुपयोग को सीमित नहीं करता है।

• के० मो० वा० नियमावली के तहत राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित वाहनों में कम से कम दो चालक का होना अनिवार्य है। प्रवर्तन दल से अपेक्षित है कि राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित वाहनों का दो चालकों की अनुपस्थिति में चालान करे और रू० 2500 की दर से प्रत्येक डिफाल्टिंग वाहनों को प्रशमित करें।

3⁷ संभागों व 3⁸ उप-संभागों में प्रवर्तन दल द्वारा 1467 राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित वाहनों का दो चालकों के बजाय एक चालक के अपराध में चालान किया गया और

³ आगरा, अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद सहारनपुर और वाराणसी।

⁴ इटावा और फिरोजाबाद।

⁵ आगरा, अलीगढ़, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी।

⁶ इटावा, फिरोजाबाद, रायबरेली।

⁷ मेरठ, मिर्जापुर, सहारनपुर।

⁸ इटावा, फिरोजाबाद, जौनपुर

रु0 2500 प्रति अपराध के बजाय रु0 50 की दर से प्रशमित किया गया । इस प्रकार रु0 35.94 लाख के राजस्व की क्षति हुई जैसा कि परिशिष्ट-V में प्रदर्शित है।

सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को लागू न किया जाना

बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित वाहनों की जाँच न किए जाने से क्षति

4.2.9 मो0 वा0 अधिनियम के अन्तर्गत तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत कोई भी यातायात वाहन तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता। नये पंजीकृत वाहनों के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध है तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्नवीनीकरण कराना आवश्यक है। बिना स्वस्थता प्रमाणपत्र के संचालित वाहन प्रति अपराध रु 2,500 की दर से प्रशमनीय है। बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहन की सूची समय-समय पर सम्बन्धित सं0 प0 अ0/ सं0 सं0 प0 अ0 द्वारा प्रवर्तन दल को उपलब्ध करायी जाती है।

12⁹ संभाग व 5¹⁰ उप-संभागों की अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 13915 वाहन संचालित थे जिनकी स्वस्थता-प्रमाणपत्र की वैधता वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के दौरान समाप्त थी। इन वाहनों में से 1,366 वाहनों की नमूना जाँच में पाया गया कि प्रवर्तन शाखा ने इनमें से किसी भी वाहन का चालान और प्रशमन नहीं किया। अतः शासन को 34.15 लाख रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा जैसाकि परिशिष्ट -VI में प्रदर्शित है ऐसे वाहनों जिनका रौडवर्धीनेश (सड़क पर संचालनीय) प्रमाणित नहीं है, का संचालन अन्य निर्दोष सड़क उपभोगियों के जीवन और सम्पत्ति के लिए हानिकारक है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इसे संज्ञान में लाए जाने पर विभाग ने अगस्त 2005 में बताया कि ऐसे वाहनों की सूची समय-समय पर प्रवर्तन शाखा को हस्तांतरित कर दी जाती है। किन्तु अपत्तियों को इस आधार पर नहीं स्वीकार किया कि लेखा परीक्षा ने बिना स्वस्थता के वाहनों को पंजीयन के आधार पर चिन्हित किया है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऐसे वाहनों की सूचना जिनकी स्वस्थता समाप्त है सं0 प0 अ0/सं0 सं0 प0 अ0 द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन शाखा को प्राप्त करायी गयी है।

फारवर्डिंग व यातायात अभिकर्ताओं के पंजीयन न किए जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति

4.2.10 मो0 वा0 अधिनियम के अन्तर्गत, निर्धारित दर से फीस अदा करके सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सेवा वाहन द्वारा माल संग्रहण, अग्रसारण या वितरण व यात्रा के लिए टिकट की बिक्री या अन्यथा ऐसे वाहनों के सालिसिटिंग ग्राहकों के लिए स्वयं अभिकर्ता के रूप में या एक कनवेसर के रूप में कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार की अनुज्ञप्ति का 5 वर्ष बाद पुनर्नवीनीकरण कराना अपेक्षित है।

4¹¹ संभागों तथा जौनपुर उप संभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि दिसम्बर 1999 में विभाग द्वारा सर्वे में 552 फारवर्डिंग अभिकर्ता बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए वर्ष 1999-2000 से अपना व्यापार जारी रखे थे। विभाग ने उन्हें पंजीकृत नहीं किया। उसके बाद प्रवर्तन दल ने इसके लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया। इसके फलस्वरूप रु0 5.52 लाख के राजस्व की क्षति अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में शासन को हुई जैसा कि परिशिष्ट -VII में प्रदर्शित है।

⁹ आगरा, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झॉंसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी।

¹⁰ बहराइच, बुलन्दशहर, इटावा, फिरोजाबाद और जौनपुर।

¹¹ आजमगढ़, मेरठ, मिर्जापुर, और सहारनपुर।

इसे संज्ञान में लाए जाने पर विभाग ने अगस्त 2005 में बताया कि सम्बन्धित सं०प० अधिकारियों/प्रवर्तन दल को इन्हे पंजीकृत करने सम्बन्धी आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

मार्ग पर असंचालित घोषित समर्पित वाहनों का स्थल सत्यापन न किया जाना

4.2.11 उ० प्र० मो० वा० क० अधि० तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहन का एक माह से अधिक अवधि के लिए उपयोग नहीं करना चाहता तो वह विभाग को वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र, टोकन, परमिट आदि समर्पित करेगा तथा वाहन को रखने के स्थान की घोषणा करेगा। यदि वाहन घोषित स्थान पर नहीं पाया जाता तो यह माना जाएगा कि वाहन मार्ग पर संचालित है तथा उस पर कर आरोपणीय होंगे। प्रवर्तन शाखा से अपेक्षित था कि वर्ष 2000-01 तक समर्पित वाहनों का 15 प्रतिशत तथा उसके बाद 100 प्रतिशत स्थल सत्यापन करेगा।

10 संभागों¹² व 4 उप-संभागों¹³ के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक 32,759 वाहन समर्पित थे जिनमें से 24,456 वाहनों का स्थल सत्यापन अपेक्षित था जिसके विरुद्ध मात्र 4673 वाहन ही सत्यापित किए गए जो कि कुल समर्पित वाहनों का मात्र 14.26 प्रतिशत ही है जैसा कि परिशिष्ट -VIII में प्रदर्शित है।

5 संभागों¹⁴ व तीन¹⁵ उप-संभागों में प्रवर्तन दल द्वारा समर्पित वाहनों का सत्यापन नहीं किया गया।

कर का अधिक संग्रहण

4.2.12 उ० प्र० मो० वा० क० अधि० के तहत कोई भी परिवहन यान समुचित दर से कर अदा किए बिना राज्य के बाहर अधिकारिता वाले प्राधिकारी से अस्थायी परमिट के अधीन राज्य में संचालित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में कर के उद्ग्रहण और भुगतान के प्रयोजनों के लिए किन्हीं दो सप्ताह या उसके भाग के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट दर का 2/13 वॉ भाग होगा।

आगरा, गाजियाबाद, झांसी और वाराणसी संभागों के अभिलेखों की नमूना जाँच 2001-02 से 2003-04 में पाया गया कि देय कर से रू० 71.59 लाख अधिक कर अन्य राज्य के वाहनों से राज्य में प्रवेश करते समय कर संग्रह केन्द्रों पर संग्रहित किया गया, विवरण निम्नवत है।

क० सं०	संभाग का नाम	वसूला गया कर	वास्तविक देय कर	अधिक संग्रहित
1.	आगरा	195.37	180.00	14.47
2.	गाजियाबाद	207.26	191.91	15.35
3.	झांसी	179.69	166.38	13.31
4.	वाराणसी	265.59	237.13	28.46
	योग :	847.91	776.32	71.59

आन्तरिक नियंत्रण

4.2.13 प्रवर्तन शाखा ने कोई मैनुअल तैयार नहीं किया है जो कि समुचित फ्रेमवर्क दे सके, जिसके द्वारा नियमों/अधिनियमों के विविध प्रावधानों का प्रवर्तन उनके द्वारा

¹² आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़ बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर नगर, मेरठ, मुरादाबाद और वाराणसी।

¹³ बुलन्दशहर, इटावा, फिरोजाबाद, रायबरेली।

¹⁴ इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर,

¹⁵ बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, रायबरेली।

सुनिश्चित किया जा सके। प्रवर्तन शाखा के कर्तव्य एवं शक्तियों कहीं भी स्पष्टतः परिभाषित नहीं हैं जिससे कि अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित की जा सके। इसका प्रवर्तन शाखा की कार्य प्रणाली की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

प्रवर्तन शाखा द्वारा प्रारूपित अभिलेखों को व्यवस्थित एवं सुरक्षित संरक्षा में रखने के लिए कोई आंतरिक नियंत्रण उपाय नहीं अपनाया गया जैसा कि स० सं० प० अ० (प्रवर्तन) फर्रुखाबाद से सम्बन्धित अभिलेख गायब पाये गए।

विभाग ने बताया कि शासन द्वारा शीघ्रातिशीघ्र मानवशक्ति बढ़ाने की स्वीकृति मिलते ही आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ कर लिया जाएगा। गायब अभिलेखों के बारे में सम्बन्धित कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर टिप्पणी भेजने का आश्वासन दिया गया।

संस्तुतियां

4.2.14 प्रवर्तन शाखा की क्षमता एवं प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है :-

- प्रवर्तन शाखा उपलब्ध सूचनाओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करे और
- परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्तन शाखा के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों का स्पष्ट वर्णन करते हुए एक अनुदेशिका तैयार की जाय।

निष्कर्ष

4.2.15 प्रवर्तन शाखा ने उपलब्ध सूचनाओं पर तुरन्त पर्याप्त कार्यवाही नहीं की। मोटर वाहन अधि० के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रवर्तित करने के लिए तथा प्रवर्तन शाखा के कर्तव्य एवं शक्तियों को स्पष्टतः परिभाषित करने के लिए अनुदेशिका तैयार नहीं की गई है। विविध नियमों एवं विनियमों के प्रवर्तन में प्रवर्तन शाखा के नाकाम रहने के कारण 33.71 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई।

समीक्षा शासन/विभाग को जून 2005 में प्रेषित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2005)।

4.3 अतिरिक्त कर का कम आरोपण

उ० प्र० मो० यान कराधान अधि० के प्रावधानों के अन्तर्गत तिपहिया वाहनों पर ड्राइवर के अतिरिक्त 6 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता पर अतिरिक्त कर की दर नवम्बर 1998 से रू० 675, मार्च 2000 से रू० 742 तथा 6 अक्टूबर 2001 के बाद रू० 2,000 क्रमशः प्रति त्रैमास कर दी गई।

मेसर्स स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ की आर एण्ड डी० प्रभाग (विक्रम 750 डी तिपहिया वाहन का निर्माता एवं विक्रेता) ने सुनिश्चित किया है कि विक्रम 750 डी ड्राइवर के अतिरिक्त 6 व्यक्तियों से अधिक के बैठने की क्षमता वाला तिपहिया वाहन है।

स० सं० प० अधि० मथुरा व बलिया के कार्यालयाभिलेखों की नमूना जाँच मई व नवम्बर 2003 में पाया गया कि अप्रैल 1999 से अक्टूबर 2003 की अवधि में 697 विक्रम तिपहिया जिनमें ड्राइवर के अतिरिक्त 6 व्यक्तियों से अधिक के बैठने की क्षमता (जैसा कि निर्माता द्वारा सत्यापित है) थी, इन पर ड्राइवर के अतिरिक्त 6 व्यक्ति से कम बैठने की क्षमता के आधार पर गलत दर से अतिरिक्त कर आरोपित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त कर की धनराशि रू० 38.07 लाख कम आरोपित की गई।

प्रकरण विभाग/शासन को अक्टूबर 2003 व मार्च 2004 के बीच प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2005)।

बैठने की क्षमता का गलत निर्धारण के कारण राजस्व क्षति

4.4 उ० प्र० मो० वा० नियमावली के अनुसार वाहन में बैठने की क्षमता का निर्धारण सकल यान भार और खाली यान के अन्तर में से 90 किग्रा घटा कर तथा इसमें 150 से भाग देने पर प्राप्त संख्या के आधार पर अधिकतम सीट क्षमता का निर्धारण किया जाता है तथा उसी आधार पर वाहन पर कर/अति० कर का आकलन किया जाता है।

5¹⁶ संभाग व 3¹⁷ उप संभागों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सं० प० अ०/स० सं० प० अधि० द्वारा नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करके कम बैठने की क्षमता वाले वाहन के रूप में 1741 स्टेज कैरियेज वाहन पंजीकृत किए गए तथा तदनुसार ही कर का निर्धारण किया गया। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर के रूप में नवम्बर 2002 से मार्च 2004 के बीच 3.04 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति हुई जैसा कि अनुलग्नक-IX में प्रदर्शित है।

विभाग ने अगस्त 2005 में बताया कि नियम 139 के अनुसार 205" हील बेस वाले लदान रहित वाहन का भार 7200 किग्रा से कम नहीं हो सकता जिसके अनुसार ही बैठने की क्षमता का आगणन किया गया है अतः विभाग का आगणन सही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वाहन के पंजीयन तथा स्वस्थता प्रमाण-पत्र के अनुसार लदान रहित भार 6080 किग्रा से 7200 किग्रा के बीच घट-बढ़ रहा था अतः प्रत्येक वाहन के लिए लदान रहित भार 7200 किग्रा सही नहीं था।

प्रकरण शासन को जून, 2005 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2005)।

¹⁶ सहारनपुर, मेरठ, मिर्जापुर, आजमगढ़, और गोण्डा।

¹⁷ फर्रुखाबाद, बहराइच, और जौनपुर।



अध्याय-5 अन्य कर प्राप्तियाँ

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-05 के दौरान लेखा परीक्षा में सम्बन्धित विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 356 मामलों में 13.24 करोड़ रुपये न/कम वसूली या राजस्व हानि का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं।

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण	139	2.70
2.	बिलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण कम आरोपण	39	0.75
3.	अन्य अनियमितताएं	17	0.31
	योग	195	3.76

भू-राजस्व

1.	संग्रह प्रभारों का न/कम वसूल किया जाना	48	2.53
2.	किसान बर्ही ¹ की आपूर्ति के लिए फीस का न वसूला जाना	9	0.20
3.	भू राजस्व का न/कम वसूल किया जाना	16	1.67
4.	अन्य अनियमितताएं	88	5.08
	योग	161	9.48
	कुल योग	356	13.24

वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग द्वारा 0.45 लाख रुपये का राजस्व अवनिर्धारण स्वीकार किया गया, जिसकी वसूली कर ली गयी।

1.26 करोड़ रुपये के कुछ निदर्शीमामले अनुवर्ती प्रस्तारों में दिये गए हैं।

स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस

5.2 पट्टा अवधि की गलत गणना के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 35 VI के अन्तर्गत किसी सम्पत्ति पर जहाँ पट्टे की अवधि 30 वर्ष से अधिक या दवामी अवधि अथवा अनिश्चित कालीन अवधि का अभिप्राय है, पट्टे की विषय वस्तु वाली सम्पत्ति के बाजारी मूल्य के बराबर प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0) ने 22 अप्रैल 2003 को स्पष्ट किया कि 30 वर्ष से कम अवधि के पट्टा विलेख में पट्टा अवधि की समाप्ति पर आगामी निर्धारित अवधि अथवा अनिश्चित कालीन अवधि हेतु नवीनीकरण

का प्राविधान किए जाने पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

उप निबन्धक चतुर्थ आगरा की नमूना जॉच सितम्बर 2002 में पाया गया कि 7.61 लाख रुपये का मूल्यांकित एक पट्टा विलेख जिसपर स्टाम्प शुल्क 0.77 लाख रुपये आरोपित था, अप्रैल 2002 में 29 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया। विलेख में यह भी प्रावधानित था कि उक्त अवधि की समाप्ति के बाद लीज को अन्य किसी भी अवधि तक पट्टा धारक को मालिकाना अधिकार स्थानान्तरित करते हुये बढ़ाया जा सकता है जिस पर 14.37 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। पट्टा अवधि की गलत आगणन के फलस्वरूप 13.60 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया।

मामला शासन एवं विभाग को मई व दिसम्बर 2003 के बीच प्रतिवेदित किया गया उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2005)।

5.3 संग्रह प्रभार की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार राजस्व अधिकारी किसी निगम या परिषद या बैंकिंग कम्पनी अथवा स्थानीय निकाय से जारी वसूली प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि को कार्यवाही की लागत (संग्रह व्यय) समेत, भू राजस्व के बकाये की भौति वसूल करने की कार्यवाही करेंगे। संग्रहीत किये गये/किये जाने वाले देयों की धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह व्यय राजस्व अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित निगम/कम्पनी निकाय से वसूल किया जाता है। यदि किसी कारणवश मांग प्राधिकारी वसूली प्रमाणपत्र अपने अनुरोध पर वापस माँग लेता है अथवा बकाये की धनराशि बकायेदार द्वारा सीधे जमा कर दी जाती है तब भी संग्रह व्यय उसी दर से मांग अधिकारी से वसूलनीय है।

छ: तहसील कार्यालयों¹ के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया कि मई 2002 तथा जनवरी 2005 की अवधि में 4 मामलों में 1.36 करोड़ रुपये बकायेदारों ने सीधे वांछित प्राधिकरणों में जमा कर दिया और 33 मामलों में 9.84 करोड़ रुपये की धनराशि के वसूली प्रमाणपत्र सम्बन्धित विभाग/निकायों को उनके अपने अनुरोध पर वापस लौटा दिया गया। किन्तु इन मामलों में विभाग द्वारा 1.12 करोड़ रुपये की धनराशि संग्रह प्रभार के रूप में नहीं वसूली गयी।

प्रकरण दिसम्बर 2003 व मार्च 2005 के बीच शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2005)।

¹ तहसीलदार जानसठ (मुजफ्फरनगर); तहसीलदार, सदर वस्ती, तहसीलदार, सदर इटावा; तहसीलदार, सदर, ललितपुर, तहसीलदार, सदर, रामपुर तथा तहसीलदार गाजियाबाद।

अध्याय-6 अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-05 की अवधि में लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 366.98 करोड़ रुपये सन्निहित धनराशि के न/कम वसूली/राजस्व हानि के 272 मामले प्रकाश में आए, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:-

क्र० सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
	पुलिस विभाग		
1	पुलिस विभाग की प्राप्तियाँ	01	2.15
	योग	01	2.15
	लोक निर्माण विभाग		
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	04	0.85
2.	स्टाम्प शुल्क का न/कम आरोपण	03	—
3.	सेन्टेज प्रभारों का अनारोपण	01	0.02
4.	खाली ड्रमों/गनी थैलों की नीलामी न किये जाने से राजस्व क्षति	10	0.48
5.	निरीक्षण भवनों तथा अतिथि गृहों से किरायों की वसूली न किया जाना	03	0.15
6.	अन्य अनियमितताएं	125	11.08
	योग	146	12.58
	सिंचाई विभाग		
1	सिंचाई प्रभारों के अनारोपण से क्षति	08	5.16
2.	अन्य अनियमितताएं	95	12.27
	योग	103	17.43
	ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा विभाग		
1.	भू कर्म पर रायल्टी का अनारोपण	01	0.16
	योग	01	0.16
	आवास एवं शहरी योजना विभाग		
1	ब्याज की वसूली न किये जाने से क्षति	10	6.43
2.	अन्य अनियमितताएं	07	7.44
	योग	17	13.87
	लोक उपकम विभाग के ब्यूरो		
1.	भू कर्म पर रायल्टी का अनारोपण	01	1.00
	योग	01	1.00
	शिक्षा विभाग		
1.	छात्रों से मंहगाई भत्ते की कम वसूली	01	0.24
	योग	01	0.24
	खान एवं खनिज विभाग		
1.	पट्टा विलेखों के संपादित न किए जाने के कारण राजस्व क्षति	01	8.92
	योग	01	8.92
	वित्त विभाग		
1.	प्रतिभूति शुल्क	01	310.63
	योग	01	310.63
	कुल योग	272	366.98

वर्ष 2004-05 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 7 मामलों में 1.14 करोड़ रुपये की कम वसूली स्वीकार किया जिसमें से 96.90 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी।

325.84 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ निदर्शी मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में वर्णित हैं:-

6.2 पुलिस विभाग की प्राप्तियां

प्रस्तावना

6.2.1 पुलिस विभाग की प्राप्तियों में मुख्यतः वे प्राप्तियां सम्मिलित हैं जो विभिन्न संगठनों को जिसमें राज्य के अन्दर केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंक या अन्य स्वायत्तशासी निकायों में कोषालय/कैश चेस्ट प्रेषण की सुरक्षा अथवा स्थायी या अस्थायी रूप से निगरानी करने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने से होती है। पुलिस विभाग को अन्य राज्यों में असामान्य परिस्थितियों के समय तथा लोक सभा एवं विधान सभा के निर्वाचन के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने से वसूली होती है। कुछ अन्य पुलिस प्राप्तियां जैसे पुलिस कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते की वसूली, निष्प्रयोज्य सामानों की बिक्री, निष्प्रयोज्य वाहन तथा लावारिस सामानों की नीलामी के अतिरिक्त भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के अधीन वसूलियां।

इन प्राप्तियों का निर्धारण, संग्रह तथा लेखा पांच¹ प्रणालियों-नियमावली, मैनुवल, रेगुलेशन्स तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित आदेशों एवं कोषागार नियमावली के प्रावधानों से शासित है। पुलिस जनों के व्यय में, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य व्यय परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उन पर किये जाते हैं, सम्मिलित हैं। स्थायी पुलिस अनुरक्षकों की लागत की वसूली की मांग अग्रिम के रूप में त्रैमासिक आधार पर की जाती है जब कि अस्थायी पुलिस अनुरक्षकों की लागत की वसूली अग्रिम में की जाती है।

6.2.2 संगठनात्मक ढांचा

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का प्रधान है जिस का मुख्यालय इलाहाबाद है। उस को दो अपर महानिदेशक एवं महानिरीक्षकों का परिक्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्र के प्रभारी उप महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों द्वारा जनपद स्तर पर सहयोग प्राप्त होता है। राज्य के बाहर एवं रेलवे के लिए लगाये गये पुलिस कर्मचारियों की लागत के निर्धारण एवं संग्रह का उत्तरदायित्व पुलिस महानिदेशक तथा राज्य के अन्दर प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षकों पर है।

विद्युत प्रभारों का वसूल न किया जाना

6.2.3 बिजली चार्जज की वसूली उन पुलिस कर्मचारियों से की जाती है जो पुलिस लाइन/थानों में अवस्थित भवनों में रहते हैं जहां बिजली के मीटर नहीं लगे हैं। यह चार्जज पुलिस विभाग की प्राप्तियां हैं।

दिसम्बर 2003 में निर्गत आदेश द्वारा शासन ने 1 मई 2002 से विद्युत चार्जज 30 प्रतिशत बढ़ा दिया है। पुलिस मुख्यालय के फरवरी 2004 के निर्देशानुसार मई 2002 से जनवरी 2004 तक की बकाया धनराशि कर्मचारियों से 10 मासिक किस्तों में कटौती करनी थी।

12² पुलिस अधीक्षकों के अभिलेखों की अक्टूबर 2004 और मई 2005 के बीच जाँच करने पर यह प्रकाश में आया कि मुख्यालय के निर्देशों के बावजूद उन्होंने मई 2002 से जनवरी 2004 तक का रू० 44.13 लाख की बकाया धनराशि की वसूली नहीं की।

¹ पुलिस अधिनियम 1961, पुलिस मैनुअवल, पुलिस रेगुलेशन, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959, तथा मोटरगाड़ी अधिनियम 1988

² आगरा, आजमगढ़, बस्ती, बहराईच, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोण्डा, जौनपुर, झांसी, मथुरा और मेरठ

सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा कि अगस्त 2005 तक 10.04 लाख रुपये की वसूली कर ली गयी थी। इस सम्बन्ध में प्रगति प्रतीक्षित रहेगी।

पुलिस संरक्षकों की लागत की कम वसूली

6.2.4. पुलिस नियमावली के प्रावधानों तथा शासनादेशों¹ के अन्तर्गत स्थायी पुलिस अनुरक्षकों की तैनाती जिन्हें बैंको/इकाइयों/स्वायत्तशासी निकायों आदि को उपलब्ध कराया गया है की लागत अग्रिम रूप में प्राप्त करने के पश्चात ही उपलब्ध कराये जाने का प्रयोजन है। अदेयता की अवस्था में अनुरक्षकों को वापस बुला लिया जाना चाहिए।

• 9² पुलिस अधीक्षकों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह प्रकाश में आया कि आरक्षित इन्सपेक्टरों की उपस्थित पंजिका के आधार पर अप्रैल 1999 से मार्च 2004 तक की अवधि का रू0 6.13 करोड़ लागत का बीजक बैंकों/इकाइयों को भेजा गया परन्तु यह संज्ञान में आया कि बैंको/इकाइयों ने अपनी उपस्थित पंजिका के आधार पर रू0 3.23 करोड़ का भुगतान किया। जिसके फलस्वरूप रू0 2.90 करोड़ कम वसूला गया। कम भुगतान के अन्तर्गत का समाधान तथा उनके कारणों को निश्चित करने में पुलिस अधीक्षक कार्यालय असफल रहे। विभाग ने स्वीकार किया कि उपस्थिति का समाधान आवश्यक था।

पुलिस अनुरक्षकों को व्यक्तिगत सुरक्षा पर उपलब्ध कराया जाना

शासनादेश दिनांक 4 मई 1997 सपटित 30 दिसम्बर 2000 के आदेशानुसार निर्णीत किया गया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के प्रस्ताव पर अभिनिश्चित श्रेणी के व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुरक्षा अनुरक्षक/बन्दूक धारी निर्धारित दर से 1,266 रुपये व 12,658 रुपये प्रतिमाह के बीच अग्रिम में प्राप्त होने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

चार³ पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 33 मामलों में अप्रैल 2001 से सितम्बर 2004 तक बिना पूरा अग्रिम प्राप्त किये ही शैडो/गनर्स व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये। अग्रिम भुगतान की अवधि समाप्त हो जाने पर भी 33 मामलों में शैडो/गनर्स को वापस नहीं बुलाया गया। इसके परिणामस्वरूप 8.24 लाख रुपये की कम वसूली की गई। विभाग ने भुगतान की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी शैडो/गनर को वापस बुलाने की कोई कार्यवाही नहीं की।

सम्प्रेक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने अगस्त 2005 में कहा कि वसूली के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं।

राजस्व का अवरुद्ध होना

6.2.5 पुलिस अधिनियम 1961 के प्राविधानानुसार पुलिस अधिकारी जिलाधीश के निर्देशों के अन्तर्गत लावारिस सामानो को जब्त करने के 6 महीने के पश्चात नीलामी द्वारा बिक्री करने के लिए अधिकृत है। ऐसे सामानो की बिक्री की धनराशि सरकारी लेखा में जमा की जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय⁴ ने यह निर्देश दिया था कि सभी दावारहित वाहनों की नीलामी कर दी जाय।

21⁵ पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच करने पर यह विदित हुआ कि दिनांक 31 मार्च 2004 तक 315 पुलिस स्टेशनों पर 1.71 करोड़ रुपये मूल्य की 17

¹ शासन आदेश संख्या 3312/वीकेबी-2-700/150/79 दिनांक 31.12.79

² आजमगढ़ (रू0 1.77 लाख) फैजाबाद (रू0 3.93 लाख) गाजियाबाद (रू0 13.34 लाख) गोण्डा (रू0 4.20 लाख) कानपुर नगर (रू0 9.38 लाख) लखनऊ (रू0 1.42 लाख) मथुरा (रू0 3.78 लाख) मेरठ (रू0 2.52 करोड़) और शाहजहांपुर (रू0 0.25 लाख).

³ बहराइच, बस्ती, गाजियाबाद और गोण्डा

⁴ स्पेशल लीव पेट्रीशन किमिनल केस नं0 2745/02 सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम स्टेट आफ गुजरात और सी0एम0 मुदालियर बनाम स्टेट आफ गुजरात (लीव पेट्रीशन नं0-2755/02)

⁵ आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर और वाराणसी

ट्रक/बसें, 200 कारें/जीप/ट्रैक्टर, 330 मोटर साइकिलें, 387 स्कूटर्स तथा 62 मोपेड दावारहित पड़ें हैं (मूल्य विभिन्न जनपदों पर पिछली नीलामी की दरों पर आधारित है)। प्राधिकारियों द्वारा इनके निस्तारण से सम्बन्धित कोई कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप वाहन मौसम के कारण नष्ट हुए तथा उनका मूल्य ह्रास हुआ। पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण 1.71 करोड़ रुपये का राजस्व अवरुद्ध हुआ जैसा कि परिशिष्ट-x में वर्णित है।

विभाग ने अगस्त 2005 में सूचित किया कि 76 वाहनों की नीलामी से रू0 5.80 लाख की वसूली की गयी। आगे की प्रगति से सूचित किया जायेगा।

'फड' की धनराशि का कोषागार में न जमा किया जाना

6.2.6 पुलिस विभाग जुआ अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन पर जुआ के खेले जाने वाले स्थान पर छापा मारकर धनराशि बरामद करती है। इस दावा रहित धनराशि को जो जुआ की मेज पर पायी जाती है 'फड' कहते हैं। पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार की दावारहित धनराशि 6 माह की अवधि तक रखी जाती है इस अवधि के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त करने के पश्चात शासकीय धनराशि हो जाती है। इस प्रकार से पायी गयी धनराशि कोषागार में जमा की जानी चाहिए थी।

21¹ पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों के अभिलेखों से यह विदित हुआ कि 1999-2000 से 2003-04 की अवधि में पुलिस विभाग द्वारा दावारहित रू0 54 लाख फड के रूप में प्राप्त धनराशि एक वर्ष से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोषागार में जमा नहीं की गयी। पुलिस विभाग में ऐसी कोई भी प्रणाली यह जांच करने के लिए विद्यमान नहीं है कि 6 माह की अवधि समाप्त होने तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त करने के पश्चात फड की धनराशि को कोषागार में जमा कर दिया गया हो।

सम्प्रेक्षा में इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में यह बताया कि इस प्रकार से प्राप्त धनराशि न्यायिक प्रक्रिया के अधीन आती है तथा न्यायालय के आदेशानुसार ही कार्यवाही की जाती है। सम्प्रेक्षा में यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जुए की मेज पर प्राप्त धनराशि न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं आती और इस धनराशि को 6 माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात शासकीय खाते में जमा कर दिया जाना चाहिए।

पुलिस प्राप्तियों का दुरुपयोग

6.2.7 उत्तर प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार वसूले गए राजस्व को शीघ्रातिशीघ्र सरकारी लेखों में जमा कर दिया जाना चाहिए। पुलिस विभाग के व्यक्तियों को आंवटित बिना विद्युत मीटर के आवासी भवनों से विद्युत चार्ज के मद में उनके वेतन से कटौतियां पुलिस विभाग की प्राप्तियां हैं। इन्हें कोषागार में लेखा शीर्ष "0055 पुलिस" में जमा कर देना चाहिए। ऐसी प्राप्तियों का उपयोग बिना समुचित प्राधिकरण के विभागीय खर्च में नहीं करना चाहिए। सम्प्रेक्षा में 13² पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह प्रकाश में आया कि उन्होंने बिजली चार्ज के मद में एकत्र धनराशि में से अनाधिकृत रूप से 1.09 करोड़ रुपये कार्यालय व्यय की मद में व्यय कर दिया। यह अनियमित था क्योंकि सभी प्राप्तियों को राजकीय कोषागार में जमा होना चाहिए तथा कोई भी व्यय विधायिका से प्राधिकृत होना चाहिए।

सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर अगस्त 2005 में कहा कि व्यय को नियमित करने के लिए विवरण मांगा गया है।

¹ आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर, नगर, लखनऊ, मथुरा मेरठ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर और वाराणसी

² आगरा, आजमगढ़, बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, शाहजहांपुर और सीतापुर

प्रकरण शासन को माह जुलाई 2005 में प्रतिवेदित किया गया है; उनके उत्तर प्रतीक्षित (अगस्त 2005)।

निर्माण विभाग

6.3 सेन्टेज प्रभारों का अनारोपण

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI तथा अगस्त 1998 एवं 24 मार्च 1999 के शासनादेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में वाणिज्यिक विभागों स्थानीय निकायों तथा निजी क्षेत्र के निकायों के मद में लोक निर्माण तथा सिचाई विभाग द्वारा अधिगृहीत सभी वर्गों के निक्षेप कार्यों के सम्बन्ध में निर्माण कार्यों के वास्तविक परिव्यय पर लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में 14 प्रतिशत तथा सिचाई विभाग के सम्बन्ध में 12.5 प्रतिशत "प्रतिशतता प्रभार" आरोपित एवं राजकीय लेखे में जमा किया जाना चाहिए।

- अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मेरठ के मई 2000 से जून 2003 के अभिलेखों की नमूना जॉच जुलाई 2003 में पाया गया कि खण्ड द्वारा गर्ल्स हाई स्कूल किठौर (शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय) हेतु भवन निर्माण के लिए 66.82 लाख रुपये की लागत पर किए गए निक्षेप कार्य पर 9.35 लाख रुपये का प्रतिशतता प्रभार आरोपित नहीं किया गया।

प्रकरण शासन व विभाग को अप्रैल 2004 व फरवरी 2005 के बीच प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2005)।

- अधिशाषी अभियन्ता, शारदा नहर प्रखण्ड-प्रथम, लखनऊ के अभिलेखों की नमूना जॉच सितम्बर 2003 में पाया गया कि उस खण्ड द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान 6.22 करोड़ रुपये मूल्य के लखनऊ विकास प्राधिकरण (ल.वि.प्रा.) के निक्षेप कार्य पर 77.75 लाख रुपये का प्रभार आरोपित नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 77.75 लाख रुपये की वसूली नहीं की गयी।

प्रकरण विभाग एवं शासन को सितम्बर 2004 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2005)।

6.4 स्टोनबोल्डर्स, मोरम व मिट्टी के संग्रह पर रायल्टी की वसूली न किया जाना

शासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 22 सितम्बर 1988 सपटित 2 फरवरी 2001 को जारी निर्देशों के अनुसार सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निदेशित किया गया है कि ठेकेदारों/पूर्तिकारों को स्टोन बैलास्ट, मोरम मिट्टी एवं बालू के पूर्ति लेखे में देयकों का भुगतान करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि खान व खनिज विभाग को रायल्टी का भुगतान कर दिया गया है तथा खान व खनिज विभाग द्वारा निर्गत फार्म एम.एम-11 में 'प्राप्ति' प्रस्तुत की गई है। जिसकी विफलता पर रायल्टी की धनराशि ठेकेदारों के बिल से काट ली जाएगी।

- आठ¹ लोक निर्माण विभागों में अप्रैल व सितम्बर 2004 के बीच यह पाया गया कि विभिन्न ठेकेदारों/पूर्तिकारों द्वारा निर्माण कार्य व बॉध बनाने हेतु 3,36,142.24 घन मीटर स्टोन बैलास्ट/ग्रेनाइट, 60 घन मीटर मोरम तथा 3,26,439.14 घन मीटर मिट्टी की पूर्ति की गयी। लेकिन न तो भुगतान रसीद ठेकेदारों से प्राप्त की गई न ही उनके देयकों से रायल्टी की कटौती की गयी इसके फलस्वरूप 86.53 लाख रुपये की रायल्टी की क्षति हुई।

¹ अ0अ0 (लो0नि0वि0), इलाहाबाद, अ0अ0,प्रा0ख0 (लो0नि0वि0), बुलन्दशहर, अ0अ0,प्रा0ख0-3, आजमगढ़, अ0अ0,प्रा0ख0 (लो0नि0वि0), एटा, अ0अ0,प्रा0ख0, (लो0नि0वि0), पीलीभीत, अ0अ0,से0नि0ख0 (रा0राज मार्ग) (लो0नि0वि0),कानपुर, अ0अ0,प्रा0ख0 (लो0नि0वि0), महाराजगंज और अ0अ0,रा0रा0मा0 (लो0नि0वि0), झाँसी।

प्रकरण विभाग व शासन को अप्रैल 2004 व फरवरी 2005 के बीच प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2005)।

• अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (प्र0मं0ग्रा0स0यो0) बलिया के अभिलेखों की नमूना जाँच में अगस्त 2004 में पाया गया कि वर्ष 2002-03 में चार कार्यों के लिए 4,02,702.47 घनमीटर मिट्टी का कार्य कराया गया किन्तु अधिशाषी अभियन्ता ने भुगतान के पूर्व न तो ठेकेदारों से एम0एम-11 में रायल्टी भुगतान की रसीद प्राप्त की और न ही भुगतान के पूर्व रायल्टी के मद में उनके बिलों से कोई कटौती की। इस प्रकार 16.11 लाख रुपये की रायल्टी की क्षति हुई।

प्रकरण विभाग व शासन को फरवरी 2005 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2005) ।

• अधिशाषी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश परियोजना निगम इकाई, बस्ती के अभिलेखों की जाँच में दिसम्बर 2004 में पाया गया कि 6¹ जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों हेतु 24,95,409.20 घनमीटर मिट्टी का कार्य कराया गया किन्तु अधिशाषी अभियन्ता ने भुगतान के पूर्व न तो ठेकेदारों से एम0एम0-11 में रायल्टी भुगतान रसीद प्राप्त की और न ही रायल्टी के मद में उनके बिलों से कोई कटौती की। अतः विभाग की विफलता के कारण 99.82 लाख रुपये की रायल्टी की क्षति हुई।

प्रकरण विभाग व शासन को जनवरी 2005 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2005)।

आवास एवं शहरी योजना विभाग

6.5 ब्याज का कम आरोपण

दिनांक 11 जून 1998 के शासनादेश द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण (ल0वि0प्रा0) को चार बाग स्थित बस स्टैण्ड को प्राधिकरण की सिंडर्स डम्प भूमि पर स्थानान्तरित करने हेतु एक करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। ऋण पर आहरण की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय था। ऋण का पुनर्भुगतान 4 समान त्रैमासिक किस्तों में किया जाना था। समय से भुगतान करने पर 3.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दरों में छूट भी अनुमन्य थी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच दिसम्बर 2003 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 11 जून 1998 को एक करोड़ रुपये का ऋण आहरित किया गया। प्राधिकरण ने लेखा परीक्षा की तिथि तक मूलधन का पुनर्भुगतान नहीं किया। विभाग द्वारा 99 लाख रुपये ब्याज की धनराशि भी नहीं मांगी गयी।

सम्प्रेक्षा में इसे इंगित किए जाने पर ल0वि0प्रा0 ने जुलाई 2005 में बताया कि 81.84 लाख रुपये ब्याज की धनराशि मई 2004 में अदा कर दी गयी है। ब्याज की अवशेष धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में स्थिति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2005)।

प्रकरण शासन को जनवरी 2005 में प्रतिवेदित किया गया ; उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2005)।

शिक्षा विभाग

6.6 छात्रों से मेंहगायी भत्ता कम दर से वसूला जाना

दिनांक 10 अगस्त 2000 के शासनादेश के अनुसार राजकीय महाविद्यालयों एवं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों से अपेक्षा थी कि छात्रों से 20 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से अग्रिम में मेंहगाई भत्ता वसूल किया जाय।

¹ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज ।

मुरादाबाद जिले के चार¹ सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की नमूना जाँच अगस्त 2004 में पाया गया कि अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक की अवधि के दौरान 12301 छात्रों से मेंहगाई भत्ता कम दर से वसूल किया गया जिसके फलस्वरूप 24.36 लाख रुपये की धनराशि राजस्व के रूप में कम वसूली गई।

प्रकरण विभाग व शासन को दिसम्बर 2004 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2005)।

खान व खनिज विभाग

पट्टा विलेख निष्पादित न होने के कारण राजस्व क्षति

6.7 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने शिवालिक वन क्षेत्र के सहारनपुर जनपद में 11 नदियों के 1145 हेक्टेयर वन क्षेत्र से नदी सतह सामग्री बालू, बजरी, पत्थर के संग्रह की अनुमति (नवम्बर 2002) प्रदान किया। अक्टूबर 2002 से कार्य आरम्भ होना था।

जिला खान अधिकारी, सहारनपुर के अभिलेखों की जांच (दिसम्बर 2004) में पाया गया कि वन विकास निगम ने नदी सतह सामग्री के निष्कासन के लिये पट्टा विलेख निष्पादन हेतु जिला अधिकारी सहारनपुर को दिसम्बर 2003 में आवेदन किया।

जि0खा0अ0के अभिलेखों के अनुसार पट्टा के पहले वर्ष के लिये 3.96 करोड़ रुपये, दूसरे वर्ष के लिये 4.96 करोड़ रुपये तथा तीसरे वर्ष के दौरान 6.19 करोड़ रुपये की धनराशियां रायल्टी हेतु आगणित की गयी। जिलाधिकारी ने निगम को निर्देशित किया कि 88.75 लाख रुपये रायल्टी, सुरक्षा व स्टाम्प शुल्क की पहली किस्त के लेखे में जमा करे। जिसे अप्रैल 2004 में जमा कर दिया गया किन्तु जिलाधिकारी निगम द्वारा अनेक प्रार्थनाओं के बावजूद पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कर सके। इस प्रकार निष्कासन का कार्य शुरू नहीं किया जा सका। अतः विलेख का निष्पादन न किये जाने के कारण अक्टूबर 2002 से सितम्बर 2004 की अवधि में 8.92 करोड़ रुपये रायल्टी के रूप में शासन को क्षति उठानी पड़ी।

प्रकरण विभाग व शासन को दिसम्बर 2004 में सन्दर्भित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2005)।

प्रत्याभूति शुल्क

6.8 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं, सांविधिक निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों इत्यादि को विभिन्न वित्तीय संस्थानों, बैंकों एवं अन्य संसाधनों से लिए गए ऋण के लिए राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर विधान मण्डल द्वारा नियत सीमा के अन्दर प्रत्याभूतियाँ देती है। सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ राज्य के राजस्व पर आकस्मिक देयता को संस्थापित करती है। दी गई प्रत्याभूति के बदले में ऋणी संस्थाओं को शासन द्वारा निर्धारित दर पर प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

6.8.1 प्रत्याभूति शुल्क का अनारोपण

प्रशासनिक विभागों द्वारा शासकीय प्रत्याभूतियों की स्वीकृति विभागाध्यक्षों की संस्तुति एवं वित्त विभाग की सहमति के बाद दी जाती है। प्रत्याभूति का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा उसके पश्चात् सुसंगत शासनादेश जारी किया जाता है।

शासन के वित्त विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 सितम्बर 2000 द्वारा समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया था कि ऋणी संस्थाओं पर उक्त दिनांक तक अवशेष प्रत्याभूति की धनराशि को सम्मिलित करते हुए प्रत्याभूति की धनराशि पर 0.25

¹ एस0एम0 कालेज, चन्दौसी, मुरादाबाद, एन0के0बी0 कालेज, चन्दौसी, मुरादाबाद, गोकुलदास गर्ल्स कालेज, मुरादाबाद तथा के0जी0के0 कालेज, मुरादाबाद।

प्रतिशत से लेकर 2.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रत्याभूति शुल्क आरोपणीय है। भुगतान में विफल होने की दशा में प्रत्याभूति शुल्क सामान्य दर से दोगुनी दर पर देय होगा। शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे प्रत्येक मामले में प्रत्याभूति स्वीकृत करने से पूर्व प्रत्याभूति शुल्क की वसूली कर लें।

चार प्रशासनिक कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच जुलाई से दिसम्बर 04 के दौरान यह देखा गया कि निम्नलिखित मामलों में सम्बन्धित विभागों द्वारा 31 मार्च 2004 को 131.52 करोड़ रुपये प्रत्याभूति शुल्क आरोपित नहीं किया गया था।

(करोड़ रूप में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	ऋणी इकाई का नाम	प्रत्याभूति की अवशेष धनराशि	प्रत्याभूति की अवधि	2 प्रतिशत की दर से देय प्रत्याभूति शुल्क की धनराशि
(1)	चीनी उद्योग	उ०प्र०चीनी निगम लि० लखनऊ	604.80	01.04.02 से 31.03.04 (2 वर्ष)	24.19
(2)	-तदैव-	-तदैव-	556.90	01.04.03 से 31.03.04 (1वर्ष)	11.14
(3)	-तदैव-	उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ	841.80	01.04.02 से 31.03.04 (2 वर्ष)	33.67
(4)	-तदैव-	-तदैव-	1031.00	01.04.03 से 31.03.04 (1वर्ष)	20.62
(5)	गन्ना विकास	गन्ना बीज निगम	40.00	15.09.2000 से 31.03.04 (3 वर्ष 6 माह 16 दिन)	2.84
(6)	दुग्ध विकास	प्रादेशिक सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड लखनऊ	41.64	01.04.01 से 31.03.04 (3वर्ष)	2.50
(7)	आवास एवं शहरी नियोजन	विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद	1828.29	1.4.03 से 31.03.04 (1 वर्ष)	36.56
		योग			131.52

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर शासन ने सितम्बर 2004 में उत्तर दिया कि प्रादेशिक सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड, लखनऊ के सम्बन्ध में प्रत्याभूतियां शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर 2000 के पूर्व की अवधि (1 अगस्त 1987 तथा 27 सितम्बर 1995) से सम्बन्धित थी अतः इस प्रकरण में प्रत्याभूति शुल्क देय नहीं था उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त शासनादेश उस तिथि तक अवशेष प्रत्याभूति की धनराशि पर भी लागू था। अन्य प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2005)।

औद्योगिक विकास विभाग

राज्य सरकार के औद्योगिक विकास विभाग द्वारा 2000-01 से 2003-04 के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं को बाण्ड/ऋण के विरुद्ध प्रत्याभूतियाँ स्वीकृत की गई थीं जिस पर प्रत्याभूति शुल्क 15.81 करोड़ रूपए आरोपित नहीं किया गया।

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं०	संस्था का नाम	प्रत्याभूति की अवधि	अवशेष धनराशि		प्रत्याभूति शुल्क की दर		देय प्रत्याभूति शुल्क
			बाण्ड	ऋण	बाण्ड (प्रतिशत)	ऋण (प्रतिशत)	
1.	उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर	2001-02	1271.08		0.50	—	6.35

क्रम सं०	संस्था का नाम	प्रत्याभूति की अवधि	अवशेष धनराशि		प्रत्याभूति शुल्क की दर		देय प्रत्याभूति शुल्क
			बाण्ड	ऋण	बाण्ड (प्रतिशत)	ऋण (प्रतिशत)	
2.	उ०प्र० सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड, कानपुर :	15.09.2000 से	55.00		0.50		0.97
		31.03.01					
		2001-02		25.45		2	1.80
		2002-03 2003-04					
3.	उ०प्र० औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड (यूपिका)कानपुर	15.09.2000 से 31.3.01	—	16.20	—	2	1.13
4.	उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, कानपुर,	15.09.2000 से 31.3.01	—	13.78	—	2	0.15
		2001-02	—	16.30	—	2	0.32
		2002-03	—	19.04	—	2	0.38
		2003-04	—	22.15	—	2	0.44
5.	उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर	15.09.2000 से 31.3.01	—	17.14	—	2	0.18
		2001-02	—	14.28	—	2	0.28
		2002-03	—	11.42	—	2	0.22
		2003-04	—	8.56	—	2	0.17
6.	उ०प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ	2001-02	—	57.00	—	—	3.42
		2002-03	—	—	—	—	—
		2003-04	—	—	—	—	—
	योग						15.81

लेखापरीक्षा में जुलाई और दिसम्बर 2004 के बीच इंगित किए जाने पर क्रम सं० (6) को छोड़कर सभी ऋणी संस्थाओं ने उत्तर दिया कि प्रतिभूति शुल्क देय नहीं था क्योंकि वित्त विभाग के आदेश जारी होने से पूर्व ली गयी प्रत्याभूतियों पर प्रतिभूति शुल्क देय नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2000 को जारी आदेश उक्त तिथि पर अवशेष प्रत्याभूति की धनराशि पर भी लागू है।

क्रम सं० 6 के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड के पास प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करने के लिए संसाधन नहीं थे तथा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करने हेतु बजट में धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रत्याभूति शुल्क देय है।

6.8.2 प्रत्याभूति शुल्क का कम आरोपण

• ऊर्जा विभाग

निम्नलिखित प्रकरणों में ऊर्जा विभाग द्वारा प्रत्याभूति शुल्क कम आरोपित किया गया।

(करोड़ रूपए में)

क्र० सं०	ऋणी इकाई का नाम	प्रत्याभूति अवशेष	प्रत्याभूति की अवधि	प्रत्याभूति शुल्क की धनराशि		कम आरोपित
				देय	आरोपित	
1.	उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ	335.60	2003-04	3.36	0.55	2.81

(करोड़ रूपए में)

क्र० सं०	ऋणी इकाई का नाम	प्रत्याभूति अवशेष	प्रत्याभूति की अवधि	प्रत्याभूति शुल्क की धनराशि		कम आरोपित
				देय	आरोपित	
2.	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	225.00	2002-03 एवं 2003-04	4.50	0.57	3.93
3.	-तदैव-	400.00	2003-04	4.00	0.38	3.62
4.	-तदैव-	71.19	2000-01	0.71	0.06	0.65
5.	तदैव	10.19	2000-01	0.10	¹ —	0.10
			योग	12.67	1.56	11.11

प्रकरण शासन को जनवरी 2005 में सन्दर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त, 2005)।

सहकारिता विभाग

- सहकारिता विभाग ने उ०प्र० सहकारी ग्रामीण विकास बैंक लखनऊ को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) लखनऊ से ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य के लिए जुलाई 2000 से जून 2001 की अवधि हेतु 3,120 करोड़ रूपए की प्रत्याभूति दिया था। विगत वर्ष की अपेक्षा प्रत्याभूति की धनराशि में प्रतिवर्ष 400 करोड़ रूपए से लेकर 520 करोड़ रूपए तक की वृद्धि की गई थी। उपरोक्त प्रकरण में प्रत्याभूति शुल्क एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर के बजाय 0.25 प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया और वह भी उस तिथि पर कुल अवशेष प्रत्याभूति के बजाय विगत वर्ष की अपेक्षा केवल बढ़ी हुई धनराशि पर। इसके परिणामस्वरूप 150.05 करोड़ रूपए प्रत्याभूति शुल्क कम आरोपित किया गया जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रत्याभूति की अवधि	प्रत्याभूति की धनराशि	देय प्रत्याभूति शुल्क 1 प्रतिशत की दर से	भुगतान किया गया प्रत्याभूति शुल्क 0.25 प्रतिशत की दर से	कम आरोपित प्रत्याभूति शुल्क
2000-01	1.7.2000 से 30.6.01	3120 (400)	31.20	1.00	30.20
2001-02	1.7.2001 से 30.6.02	3640 (520)	36.40	1.30	35.10
2002-03	1.7.2002 से 30.6.03	4100 (460)	41.00	1.15	39.85
2003-04	1.7.2003 से 30.6.04	4620 (520)	46.20	1.30	44.90
	योग		154.80	4.75	150.05

(कोष्ठक के अन्दर की संख्या विगत वर्ष की अपेक्षा बढ़ी हुई प्रत्याभूति की धनराशि इंगित करती है)।


प्रकरण शासन को जनवरी 2005 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2005)।

सहकारिता विभाग ने उ०प्र० राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ को सितम्बर 2001 से 7 वर्षों के लिए 110.40 करोड़ रूपए बैंक आफ इण्डिया कन्सार्टियम से (70.40 करोड़ रूपये) तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया से (40 करोड़ रूपए) ऋण लेने हेतु प्रत्याभूति

¹ प्रत्याभूति शुल्क के रूप में 2466 रूपये जमा है।

दिया। उक्त ःण गोदामों का निर्माण करके अगले खरीफ फसल में चावल का भण्डारण करने के लिए स्वीकृत किया गया था। सितम्बर 2000 के निर्देशों के विपरीत विभाग ने 31 मार्च 2004 तक एक प्रतिशत की दर से 2.85 करोड़ रूपए के बजाय 0.25 प्रतिशत की दर से 71.00 लाख रूपये प्रत्याभूति शुल्क आरोपित किया। इसके फलस्वरूप 2.14 करोड़ रूपये प्रत्याभूति शुल्क कम आरोपित किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने सितम्बर 2004 में बताया कि मंत्रिमण्डल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 2000-01 के पूर्व प्रत्याभूति शुल्क देय नहीं था तथा 2000-01 व उसके पश्चात् यह 0.25 प्रतिशत की दर से देय था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्याभूति शुल्क की दर कम करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा सुसंगत शासनादेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं अतः इन प्रकरणों में वित्त विभाग का दिनांक 15 सितम्बर 2000 का मूल आदेश लागू होगा।




लखनऊ
दिनांक :

13 फरवरी 2006

(बीरेन्द्र कुमार)

महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित



नई दिल्ली

दिनांक 24 फरवरी 2006

(विजयेन्द्र नाथ कौल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

005

1950

परिशिष्ट



परिशिष्ट-I

कर का कम/नहीं आरोपण

(प्रस्तर संख्या 2.2.8 कम कर निर्धारण के सन्दर्भ में)

(करोड़ रुपये में)

क0 सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण का वर्ष कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम	टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर की राशि
1.	डि0क0 (क0नि0)-V, व्या0क0, आगरा,	1995-96 व 1996-97 अप्रैल-2002 व सितम्बर-2002	मोटर वेहिकिल	0.41	12.5	शून्य	0.05
2.	डि0क0 (क0नि0)-VIII, व्या0क0, आगरा,	1999-2000 व 2001-2002 अप्रैल-2003	मोटर वेहिकिल	0.28	12 व 12.5	शून्य	0.03
3.	डि0क0 (क0नि0)-I, व्या0क0, कानपुर,	2000-2001 व 2001-2002 फरवरी-2003 व 2004	आटो टायर ट्यूब्स	1.70	12 व 12.5	8	0.07
4.	डि0क0 (क0नि0)-IV व्या0क0, कानपुर,	1998-1999 व 1999-2000 सितम्बर-2003 व अक्टूबर-2003	आटो टायर ट्यूब्स	10.27	12.5	शून्य	1.28
		2000-2001 अगस्त -2003	शैम्पू	4.96	15 व 16	12	0.08
5.	डि0क0 (क0नि0)-II, व्या0क0, लखनऊ,	1997-1998 से 2001-2002 जनवरी-2002 व नवम्बर-2003	मोटर वेहिकिल व बैटरी	2.42	12 व 12.5	शून्य	0.30
6.	डि0क0 (क0नि0)-IV व्या0क0, नोएडा,	2001-2002 जनवरी-2004	प्लाण्ट एण्ड मशीनरी व आफिस उपकरण	5.19	8	शून्य	0.42
			वेहिकिल	0.64	12	शून्य	0.08
		2001-2002 मार्च-2004	फ्लोट ग्लास	0.11	16	10	0.01
7.	डि0क0 (क0नि0)-V व्या0क0, वाराणसी,	1990-1991 अगस्त -2002	केबिल ट्रे	1.67	15	7.5	0.13
8.	असि0कमि0,खण्ड-III, व्या0क0, इलाहाबाद,	1999-2000 दिसम्बर-2001	पका हुआ भोजन	0.41	8	5	0.01
9.	डि0क0 (क0नि0),व्या0क0, मोदीनगर,	1999-2000 दिसम्बर-2001	डिश एण्टीना	0.52	7.5 व 2	5 व 8	0.02

(करोड़ रूपये में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण का वर्ष कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम	टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर की राशि
10.	डि०क० (क०नि०)-II, व्या०क०, रामपुर	2000-2001 मार्च-2001	स्कैनर	0.59	8	4	0.02
11.	व्या०क०अ०,खण्ड- II, रायबरेली,	1998-1999 दिसम्बर-2000	शीरा	0.10	15	10	0.01
12.	असि०कमि०,खण्ड-IX, व्या०क०, वाराणसी,	1994-1995 अगस्त-2001	आयुर्वेदिक दवा	0.25	10	7.5	0.01
13.	असि०कमि०,खण्ड-III, व्या०क०, लखनऊ,	1999-2000 दिसम्बर-2001	सुपाड़ी	0.10	10	5	0.005
14.	डि०क० (क०नि०), व्या०क०, इटावा,	2000-2001 जनवरी-2003	टिम्बर	1.08	16	15	0.01
15.	असि०कमि०,खण्ड-VI, व्या०क०, मेरठ,	2000-2001 फरवरी-2003	कास्मेटिक्स	0.59	16	15	0.01
16.	असि०कमि०,खण्ड-IX, व्या०क०, कानपुर,	2000-2001 फरवरी-2003	पेपर कोन	0.50	10	5	0.02
17.	व्या०क०अ०,श्रंगी-II, खण्ड-XII, लखनऊ,	1999-2000 जनवरी-2002	प्रशीतन संयंत्र	0.06	15	शून्य	0.01
18.	असि०कमि०,खण्ड-XII, व्या०क०, लखनऊ,	2000-2001 दिसम्बर-2002	प्लाण्ट व मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स तथा वेहिकिल्स	0.55	8 व 12	शून्य	0.04
19.	असि०कमि०,खण्ड-III, व्या०क०, वाराणसी,	1999-2000 नवम्बर-2002	कच्चा रेशम	2.57	10	शून्य	0.26
			योग	34.97			2.88

परिशिष्ट-II
वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप कम करारोपण
(प्रस्तर संख्या 2.2.8 कम कर निर्धारण के सन्दर्भ में)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं०	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण का वर्ष कर निर्धारण का माह	गलत वर्गीकरण की प्रकृति	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर की राशि
1.	डि०क० (क०नि०)-18, व्या०क०, कानपुर	1999-2000 फरवरी-2003	ऑटो गियर्स को मशीनरी पार्ट्स माना गया	0.31	12.5	7.5	0.02
2.	डि०क० (क०नि०)-4, व्या०क०, नोएडा,	2000-2001 फरवरी-2003	आलू चिप्स को मिठाई नमकीन माना गया; ख्याति को करमुक्त सामग्री माना गया	4.40	12/10	5/शून्य	0.37
3.	डि०क० (क०नि०)-6, व्या०क०, वाराणसी,	2001-2002, मार्च-2004 2000-2001, फरवरी-2003	फिगारो ब्राण्ड जैतून का तेल रिफाइण्ड खाद्य तेल माना गया	2.78	10	5	0.14
4.	डि०क०(क०नि०)-2, व्या०क०, लखनऊ,	2000-2001 दिसम्बर-2002	वोल्टेज स्टेबिलाइजर को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स माना गया	0.87	12	8	0.03
5.	असि०क०(खण्ड)-10, व्या०क०, लखनऊ,	1999-2000 मार्च-2002 2000-2001 फरवरी-2003	मेडिकल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स माना गया	0.33	10	5	0.01
6.	डि०क०,(क०नि०)-7 व्या०क०, लखनऊ,	1999-2000 जुलाई-2001 2000-2001 मई-2002	डिस्पोजेबिल डायपर्स को रेडीमेड गारमेण्ट्स माना गया	0.28	10	5	0.01
7.	डि०क० (क०नि०), व्या०क०, मथुरा,	2000-2001 दिसम्बर-2002	ऑक्सीजन गैस को ईंधन गैस माना गया	0.32	12	10	0.007
8.	डि०क०, (क०नि०)-18, व्या०क०, कानपुर	2000-2001 फरवरी-2003	सी०डी० तथा आडियो कैसेट्स को आल अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अन्तर्गत माना गया	0.26	8	5/4	0.01
9.	असि०क०मि०, खण्ड-3, हापुड़	2000-01 मार्च-2003	राईस ब्रान डिआयलड केक तथा सोया डिआयलड केक को कर मुक्त सामग्री माना गया	3.58	4	शून्य	0.14

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण का वर्ष कर निर्धारण का माह	गलत वर्गीकरण की प्रकृति	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर की राशि
10.	असि०कमि०, खण्ड-1, हापुड़	1998-99 फरवरी-2001 1999-2000 दिसम्बर-2001 2000-2001 अगस्त-2002	पेण्ट्स और वार्निश को डाइज एण्ड कलर्स माना गया	0.18	15/12	4/5/10	0.01
11.	डि०क०, (क०नि०)-48,व्या०क०, नोएडा	2000-2001 जनवरी-2003	रबड़ गुड्स को अवर्गीकृत वस्तु माना गया	0.37	12	10	0.008
12	डि०क०, (क०नि०)-6, व्या०क०, आगरा,	1999-2000 मई-2001 2000-2001 नवम्बर-2002	स्टेनलेस स्टील स्टोरेज बॉक्स व किचेन सिंक को बर्तन माना गया	0.12	15	5	0.01
13.	डि०क०, (क०नि०)-18, व्या०क०, गाजियाबाद	2000-2001 अप्रैल-2002	बोरोलीन को मेडिसिन माना गया	3.58	15	8	0.25
14.	डि०क० (क०नि०)-19 व्या०क०, कानपुर	2000-2001 नवम्बर-2002	नायलॉन/टेपलॉन उत्पाद को हार्डवेयर माना गया	0.36	10	8	0.007
		2000-2001 दिसम्बर-02	डायग्नोस्टिक किट्स को मेडिसिन माना गया	0.27	10	8	0.005
15.	डि०क०, (क०नि०)-2, व्या०क०, हापुड़	1999-2000 मार्च-2002	मोम्बिल आयल ग्रीस को लुब्रीकेन्ट माना गया	23.00	15	10	1.15
		2000-2001 फरवरी-2003	इम्पोर्टेड टिम्बर को टिम्बर उत्पाद माना गया	0.44	20	8	0.05
			योग	41.45			2.23

परिशिष्ट-III

बिना परमिट के गाड़ियों की जाँच न किये जाने से राजस्व की क्षति
(प्रस्तर संख्या 4.2.7)

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	आर०टी०ओ०/ए०आर०टी० ओ०	गाड़ियों की सं०	देय अतिरिक्त कर	25: अतिरिक्त कर का योग	कुल देय अतिरिक्त कर
1.	आगरा	135	356.67	89.17	445.84
2.	अलीगढ़	57	154.53	38.63	193.16
3.	इलाहाबाद	31	57.30	14.32	71.62
4.	बरेली	21	33.75	8.44	42.19
5.	बुलन्दशहर	37	23.34	5.84	29.18
6.	इटावा	14	37.95	9.49	47.44
7.	फैजाबाद	52	138.01	34.50	172.51
8.	फिरोजाबाद	42	76.00	19.00	95.00
9.	गाजियाबाद	37	70.47	17.62	88.09
10.	झाँसी	27	48.98	12.25	61.23
11.	कानपुर	159	326.02	81.50	407.52
12.	लखनऊ	138	363.35	90.84	454.19
13.	मुरादाबाद	01	2.48	0.62	3.10
14.	रायबरेली	44	122.82	30.70	153.52
15.	वाराणसी	50	135.55	33.89	169.44
	योग	845	1,947.22	486.81	2,434.03

परिशिष्ट-IV

(प्रस्तर संख्या 4.2.8)

अपराधों के कम प्रशमन से हानि

(i) वायु प्रदूषण:-

(लाख रूपये में)

क्र०सं०	इकाई	वाहनों की कुल संख्या	प्रशमनीय धनराशि	प्रशमित धनराशि	कम प्रशमन
1.	आर.टी.ओ.आगरा	12,337	123.37	6.17	117.20
2.	आर.टी.ओ.अलीगढ़	3,573	35.73	1.79	33.94
3.	आर.टी.ओ.बरेली	2,641	26.41	1.32	25.09
4.	ए.आर.टी.ओ.इटावा	1,179	11.79	0.59	11.20
5.	आर.टी.ओ.फैजाबाद	2,402	24.02	1.20	22.82
6.	ए.आर.टी.ओ.फिरोजाबाद	3,744	37.44	1.87	35.57
7.	ए.आर.टी.ओ.गाजियाबाद	7,132	71.32	3.57	67.75
8.	ए.आर.टी.ओ.गोरखपुर	6,033	60.33	3.01	57.31
9.	ए.आर.टी.ओ.झाँसी	3,155	31.55	1.58	29.97
10.	ए.आर.टी.ओ.कानपुर	8,730	87.30	4.37	82.94
11.	ए.आर.टी.ओ. लखनऊ	9,962	99.62	4.98	94.64
12.	ए.आर.टी.ओ.मुरादाबाद	4,785	47.85	2.39	45.46
13.	ए.आर.टी.ओ.सहारनपुर	609	6.09	2.83	3.26
14.	ए.आर.टी.ओ.वाराणसी	8,218	82.18	4.11	78.07
15.	टी.सी.ऑफिस	44	0.44	0.02	0.42
	योग	74,544	745.44	39.80	705.64

(ii) ध्वनि प्रदूषण :-

क्र०सं०	इकाई	वाहनों की कुल संख्या	प्रशमनीय धनराशि	प्रशमित धनराशि	कम प्रशमन
1.	आर.टी.ओ.आगरा	409	4.09	0.20	3.89
2.	आर.टी.ओ.अलीगढ़	2,402	24.02	1.20	22.82
3.	ए.आर.टी.ओ.इटावा	515	5.15	0.26	4.89
4.	आर.टी.ओ.फैजाबाद	565	5.65	0.28	5.37
5.	ए.आर.टी.ओ.फिरोजाबाद	1,882	18.82	0.94	17.88
6.	आर.टी.ओ.गाजियाबाद	320	3.20	0.16	3.04
7.	आर.टी.ओ.गोरखपुर	896	8.96	.45	8.51
8.	ए.आर.टी.ओ.लखनऊ	1,158	11.58	0.58	11.00
9.	ए.आर.टी.ओ.रायबरेली	1,126	11.26	0.56	10.70
10.	आर.टी.ओ.सहारनपुर	6,263	62.63	3.95	58.68
11.	आर.टी.ओ.वाराणसी	827	8.27	0.41	7.86
	योग	16363	163.63	8.99	154.64

परिशिष्ट-V

(प्रस्तर संख्या 4.2.8)

दो चालकों की अनुपस्थिति के फलस्वरूप राजस्व की क्षति

(लाख रूपये में)

क्र.सं०	इकाई	वाहनों की कुल संख्या	प्रशमनीय धनराशि	प्रशमित धनराशि	कम प्रशमन
1.	ए.आर.टी.ओ.इटावा	331	8.28	0.17	8.11
2.	ए.आर.टी.ओ.फिरोजाबाद	685	17.13	0.34	16.78
3.	आर.टी.ओ. जौनपुर	70	1.75	0.04	1.72
4.	आर.टी.ओ. मेरठ	194	4.85	0.10	4.75
5.	आर.टी.ओ. मिर्जापुर	98	2.45	0.05	2.40
6.	आर.टी.ओ. सहारनपुर	89	2.23	0.04	2.18
	योग	1467	36.68	0.74	35.94

परिशिष्ट-VI

(प्रस्तर संख्या 4.2.9)

बिना स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र के संचालित वाहनों से प्रशमन/स्वस्थता फीस की वसूली न किया जाना

क्र०सं०	संभाग/उप संभाग	बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों की संख्या	नमूना जॉच. मामलों की संख्या	(लाख रुपये में) देय प्रशमित फीस
1.	आगरा	475	85	2.12
2.	बहराइच	78	18	0.45
3.	बरेली	1325	--	--
4.	बुलन्दशहर	244	244	6.10
5.	इटावा	182	--	--
6.	फैजाबाद	908	19	0.47
7.	फिरोजाबाद	250	--	--
8.	गाजियाबाद	535	535	13.37
9.	गोण्डा	54	35	0.88
10.	गोरखपुर	701	--	--
11.	जौनपुर	53	53	1.33
12.	झाँसी	92	30	0.75
13.	कानपुर शहर	3700	29	0.73
14.	लखनऊ	44	44	1.10
15.	मुरादाबाद	210	210	5.25
16.	सहारनपुर	2098	--	--
17.	वाराणसी	2966	64	1.60
	योग	13915	1366	34.15

परिशिष्ट-VII

(प्रस्तर संख्या 4.2.10)

अग्रसारण अभिकरणों की जाँच न किए जाने से क्षति

(लाख रूपये में)

क्र०सं०	संभाग/उप संभाग	एजेन्सियों की संख्या	पंजीयन शुल्क
1.	आजमगढ़	17	0.17
2.	बहराइच	शून्य'	..
3.	गोण्डा	शून्य'	..
4.	जौनपुर	108	1.08
5.	मेरठ	115	1.15
6.	मिरजापुर	182	1.82
7.	सहारनपुर	130	1.30
	योग	552	5.52

'विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

परिशिष्ट-VIII

(प्रस्तर संख्या 4.2.11)

लक्ष्यों की कम उपलब्धि
समर्पित वाहनों का स्थल सत्यापन

वर्ष	समर्पित वाहनों की सं.	लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	कमी	लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णतः असफल आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0
1999-2000	4912	737	147	590	बरेली, फैजाबाद, इलाहाबाद, रायबरेली, बुलन्दशहर व कानपुर शहर
2000-2001	4858	730	100	630	बरेली, फैजाबाद, इलाहाबाद, रायबरेली, बुलन्दशहर व कानपुर शहर गाजियाबाद
2001-2002	6885	6885	812	6073	बरेली, फैजाबाद, इलाहाबाद, रायबरेली, बुलन्दशहर व कानपुर शहर गाजियाबाद व फिरोजाबाद,
2002-2003	7492	7492	2,095	5397	फिरोजाबाद व कानपुर शहर
2003-2004	8612	8612	1519	7093	फिरोजाबाद, कानपुर शहर, इलाहाबाद व रायबरेली।
योग	32759	24456	4673	19783	

परिशिष्ट-IX
(प्रस्तर संख्या 4.4)

बैठने की क्षमता का गलत निर्धारण से राजस्व की क्षति

(लाख रुपये में)

क0सं0	जिला	बसों की संख्या		सीट क्षमता		नियम 139 के अनुसार क्षमता		अन्तर		अतिरिक्त कर की दर (सीट/तिमाही)		देय अतिरिक्त कर		योग
		ए*	बी**	ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी	
1	फर्रुखाबाद	16	-	833	-	992	-	159	-	376	-	3.39	-	3.39
2	सहारनपुर	393	300	21222	16200	24366	18600	3144	2400	376	393	66.99	53.45	120.44
3	मेरठ	487	-	26298	-	30194	-	3896	-	376	-	83.01	-	83.07
	सिटी बसें	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.52	-	*4158
4	मिरजापुर	30	-	1451	-	1691	-	240	-	458	-	6.23	-	6.23
5	आजमगढ़	85	-	3466	-	3891	-	425	-	376	-	9.05	-	9.05
6	गोण्डा	-	43	-	1811	-	2033	-	222	-	393	-	4.94	4.94
7	बहराइच	147	34	7938	1696	8673	1862	735	166	376	393	15.60	3.70	19.36
8	जौनपुर	101	-	4840	-	5641	-	761	-	376	-	16.21	-	16.21
	योग											242.13	62.09	304.21

* सिटी बस की दरों के अनुसार आंकलित

** ए व बी मार्गों के वर्ग को इंगित करते हैं

परिशिष्ट -X
दावारहित लावारिस वाहनों का विवरण
(प्रस्तर 6.2.5)

(लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला	पुलिस स्टेशन की संख्या	ट्रक/बस	कार/जीप ट्रेक्टर्स	मो०/साइकिल	स्कूटर	मोपेड	वाहनों की कुल संख्या	वाहनों का मूल्य
1.	इलाहाबाद	30	2	24	42	73	19	160	22.23
2.	वाराणसी	15	—	5	17	28	08	58	5.76
3.	कानपुर शहर	24	4	21	36	74	06	141	21.92
4.	कानपुर देहात	14	2	4	18	08	—	32	6.20
5.	लखनऊ	15	—	14	35	68	13	130	14.16
6.	सीतापुर	14	—	4	18	—	—	22	3.80
7.	शहजहाँपुर	7	1	—	6	1	—	8	1.65
8.	बरेली	25	3	8	17	21	1	50	9.77
9.	मुरादाबाद	13	—	12	19	21	—	52	8.95
10.	फैजाबाद	14	1	10	25	6	5	47	8.90
11.	गोण्डा	11	—	—	3	3	—	6	0.45
12.	बहराइच	20	1	5	6	3	—	15	4.25
13.	बस्ती	9	—	2	3	1	—	6	1.35
14.	गोरखपुर	6	—	1	2	2	1	6	0.82
15.	आजमगढ़	20	—	7	24	9	4	44	6.43
16.	जौनपुर	22	—	6	7	9	1	23	4.17
17.	झाँसी	14	—	1	2	9	1	13	1.17
18.	आगरा	8	—	1	6	3	1	11	1.27
19.	मथुरा	13	—	11	12	5	1	29	6.97
20.	गाजियाबाद	7	2	18	13	15	—	48	13.05
21.	मेरठ	14	1	46	19	28	1	95	27.32
	योग	315	17	200	330	387	62	996	170.59

न्यूनतम मूल्य

1.	ट्रक/बस	Rs.	1,00,000 × 17 =	17,00,000
2.	कार/जीप आदि	Rs.	50,000 × 200 =	1,00,00,000
3.	मो०/साइकिल	Rs.	10,000 × 330 =	33,00,000
4.	स्कूटर	Rs.	5,000 × 387 =	19,35,000
5.	मोपेड	Rs.	2,000 × 62 =	1,24,000
	योग	=	1,70,59,000	

